[2019] 11 एस. सी. आर 74

रेविंदर कौर ग्रेवाल और ओआरएस।

वी.

मंजीत कौर और हमारा।

(2014 की सिविल अपील संख्या 7764)

अगस्त 07,2019

[अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

सीमा अधिनियम, 1963-अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा-यदि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है तो दो-उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश पीठ का निर्णय

गुरुद्वारा साहब बनाम। ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला का उल्लेख करते हुए

गुरुद्वारा साहिब सन्नौली के एक मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का उपयोग प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में किया जा सकता है न कि वादी द्वारा तलवार के रूप में-आयोजितः गुरुद्वारा साहब मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रश्न का निर्णय करने के लिए केवल यह देखा गया कि प्रस्ताव के साथ इस हद तक "कोई झगड़ा" नहीं है कि वाद वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे पर आधारित नहीं हो सकता है-इस प्रकार, इस बात का विरोध नहीं किया गया था कि क्या वादी प्रतिकूल कब्जे की याचिका ले सकता है और बड़ी और समन्वय पीठ के किसी भी निर्णय का विरोध नहीं किया गया था।

दोनों के सामने विपरीत विचार रखे गए-न्यायाधीश पीठ-इसके अलावा, गुरुद्वारा साहिब सन्नौली के मामले में भी, कोई स्वतंत्र नहीं है।

विचार-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि Art.65 के अनुसार, प्रतिकूल कब्जे की याचिका एक प्रतिवादी के बचाव के रूप में उपलब्ध है-निष्कर्ष एक अनुमानित प्रक्रिया पर आधारित है क्योंकि अनुच्छेद के तीसरे कॉलम में उपयोग की गई भाषा है। 65 – अधिनियम की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि वादी द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे या प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अर्जित स्वामित्व के आधार पर उसमें किसी भी हित के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है-प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व की पूर्णता के लिए कोई बाधा नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति वादी के रूप में मुकदमा कर रहा है या प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किया जा रहा है-उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित व्याख्या की अनुमेय प्रक्रिया की अनुमति नहीं है-वादी के खिलाफ यू/Art.65 या 1963 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कोई बाधा नहीं है जिसने मुकदमा करने के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार को पूर्ण किया है।

74 रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर

किसी व्यक्ति को बेदखल करना या उसके अधिकार की रक्षा करना -

गुरुद्वारा साहब में सुप्रीम कोर्ट, मंदिर में श्री लक्ष्मी सिद्ध

महाराजा गुरुद्वारा साहब और पंजाब वक्फ बोर्ड पर निर्भर हैं

यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला कानून को सही तरीके से निर्धारित कर रहा है और इस प्रकार

खारिज किए जाते हैं-कब्ज़ा-प्रतिकूल कब्ज़ा-विशिष्ट राहत

अधिनियम, 1963 की धारा। 6 .

अधिकार प्रतिकूल अधिकार-प्रतिकूल प्रभाव

सीमित मालिक के खिलाफ कब्जा पर चर्चा की गई।

कब्ज़ा-प्रतिकूल कब्ज़ा-अवधारणा-आयोजितः क़ानून

प्रतिकूल अधिकार को परिभाषित नहीं करता है-यह एक सामान्य कानून अवधारणा है,

जिसकी अवधि वैधानिक रूप से 12 वर्ष निर्धारित की गई है।

-

सीमा का कानून न तो प्रतिकूल अधिकार को परिभाषित करता है और न ही कहीं भी। इसमें एक प्रावधान है कि वादी प्रतिकूल आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता है

Art.64 के तहत भी स्वामित्व शीर्षक-सीमा अधिनियम, 1963 के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। 27 और Art.64।

कब्ज़ा-प्रतिकूल कब्ज़ा-प्रकृति द्वारा अर्जित शीर्षक

की-चर्चा की गई।

सीमा अधिनियम, 1963-संचालन-आयोजितः ओप।

में से

कब्जा करने और उस पर आराम करने के तथ्य से प्राप्त एक उपाधि के साथ उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों के अधिकार की दुर्बलता।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"शीर्षक", "टाकिंग"-का अर्थ -

चर्चा सीमा अधिनियम, 1963-Art.65।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"स्वामित्व", "अधिकार"-प्रकार

की-चर्चा की गई।

कब्ज़ा-प्रतिकूल कब्ज़ा-का प्रमाण-आवश्यकताएँ

के लिए-आयोजितः प्रतिकूल अधिकार के लिए सभी तीन क्लासिक आवश्यकताओं को एक ही समय में सह-अस्तित्व की आवश्यकता होती है, अर्थात्, एन. ई. सी.-vi अर्थात पर्याप्त।

निरंतरता में, एन. ई. सी.-क्लैम अर्थात, प्रचार में पर्याप्त और एन. ई. सी.-प्रिकारियो अर्थात् एक प्रतियोगी के लिए प्रतिकूल, शीर्षक और उसके ज्ञान से इनकार में।

कब्ज़ा-प्रतिकूल कब्ज़ा कब्ज़ा-जब नहीं-आयोजितः

अतिक्रमणकारी का लंबा कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े का पर्याय नहीं है।

अतिक्रमणकारी का अधिकार मालिक की ओर से माना जाता है,

आकस्मिक उपयोगकर्ता प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करता है-मैक्सिम-एनीमस पॉसिडेन्डी।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपयुक्त न्यायपीठ के समक्ष गुण-दोष पर विचार के लिए रखे जाने वाले मामलों का निर्देश देते हुए, न्यायालय पकड़नाः 1.1 हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण। , खण्ड. 28 , पैरा 777 प्रतिकूल कब्जे वाले व्यक्ति की स्थिति

चर्चा की गई और विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह देखा गया है कि कब्जे में एक व्यक्ति का संपत्ति में पारगम्य हित है और वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद, यह कब्जे के अधिकार के रूप में अच्छा है। हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, सीमा की अवधि की समाप्ति के प्रभाव से अधिकार के विलुप्त होने पर भी पैरा 783 में चर्चा की गई है और एक बार अधिकार को पुनः प्राप्त करने का अधिकार खो जाने के बाद, इसे किसी भी पुनः प्रविष्टि या बाद में अधिकार की स्वीकृति द्वारा फिर से निहित नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे द्वारा अर्जित उपाधि की प्रकृति पर भी पैरा 785 में इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों में चर्चा की गई है। यह देखा गया है कि प्रतिकूल अधिकार रहने वाले को अधिकार के तथ्य से प्राप्त उपाधि के साथ छोड़ देता है और उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों के अधिकारों की दुर्बलता पर निर्भर करता है। कानून और निष्पक्षता दोनों में एक ही "अच्छा खिताब" है। प्रतिकूल धारक उसका व्युत्पन्न नहीं करता है पूर्व मालिक से शीर्षक, लेकिन शीर्षक के एक नए स्रोत से, उसका अधिकार। "निवेशात्मक तथ्य" विश्लेषण और अभ्यास है।

स्वामित्व। यह भी देखा गया है कि संपत्ति के अधिकार अनिश्चित और विवाद में नहीं रहने चाहिए, लेकिन यह कि निरंतर वास्तविक अभ्यास और अधिकार का दावा अधिकार के न्यायिक अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होना चाहिए। [पारस 25-28] [115-C-D-G; 116-C; 117-C-D]

1.2 यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित अधिकार है, तो उसके खिलाफ एक व्यक्ति केवल उस सीमित अधिकार को प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर सकता है जो है -

बुझा दिया और उससे आगे नहीं। सीमित मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के प्रभाव के रूप में कानून के इस प्रस्ताव को निर्धारित करने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला है, यदि सीमित मालिक के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, न कि प्रत्यावर्तन या कोई अन्य शीर्षक रखने का। एक शीर्षक देने में सीमा के क़ानून का संचालन केवल नकारात्मक है; यह बेदखल मालिक के अधिकार और शीर्षक को समाप्त कर देता है और कब्जा करने वाले को कब्जे के तथ्य से प्राप्त एक शीर्षक के साथ छोड़ देता है और उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों के अधिकार की दुर्बलता पर निर्भर करता है। गुरुद्वारा साहिब बनाम में निर्णय। ग्राम पंचायत गाँव सिरथला और अन्र। (2014) 1 एस. सी. सी. 669 का निर्णय दो-न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम पर संदर्भित किया।

मंजीत कौर

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष एक अनुमानित प्रक्रिया पर आधारित है क्योंकि तृतीय में उपयोग की गई भाषा अनुच्छेद 65 का कॉलम। अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, 12 साल की सीमा उस तारीख से चलती है जब प्रतिवादी का कब्जा होता है

वादी के प्रतिकूल हो जाता है। अधिनियम की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि वादी द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे या प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अर्जित स्वामित्व के आधार पर उसमें किसी भी हित के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार की पूर्णता के लिए बिल्कुल कोई बाधा नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति वादी के रूप में मुकदमा कर रहा है या प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किया जा रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित व्याख्या की अनुमानित प्रक्रिया की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यह क़ानून में उपयोग की गई भाषा का अनुसरण नहीं करता है। इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णय और प्रिवी काउंसिल, उच्च न्यायालयों और अंग्रेजी न्यायालयों के विभिन्न अन्य निर्णय और विभिन्न निर्णयों के आधार पर हैल्सबरी कानूनों में की गई टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से प्राप्त स्वामित्व के आधार पर या अनुच्छेदों के तहत कब्जे के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

64 और 65. अनुच्छेद 65 या सीमा अधिनियम, 1963 के किसी भी प्रावधान के तहत एक वादी के खिलाफ कोई रोक नहीं है, जिसने किसी व्यक्ति को बेदखल करने या अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए मुकदमा करने के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकार को परिपूर्ण किया है और निर्णयों की भरमार है

प्रभाव यह है कि मालिक के स्वामित्व को समाप्त करने के आधार पर, कब्जे वाला व्यक्ति पूर्ण शीर्षक प्राप्त करता है और यदि वास्तविक मालिक है

अपनी उपाधि, [2019] 11 एस. सी. आर. को समाप्त करने के बाद एक अन्य व्यक्ति को बेदखल कर देता है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा दायर करके उसे बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार, गुरुद्वारा साहिब बनाम का निर्णय। ग्राम पंचायत, सिरथला (ऊपर) और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सही कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। गुरुद्वारा साहिब बनाम। ग्राम पंचायत, सिरथला (ऊपर) प्रस्ताव

विवादित नहीं था। रियायत पर आधारित निर्णय को पूर्ववर्ती नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राय व्यक्त की गई थी क्योंकि न्यायालय ने कहा कि कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एक वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे की याचिका नहीं ली जा सकती है। तथ्य यह है कि प्रस्ताव विवादित नहीं था और इसके विपरीत कोई तर्क नहीं उठाया गया था, क्योंकि उपरोक्त पहलू पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, केवल कानून के प्रस्ताव के रूप में एक अवलोकन किया गया था, जो स्पष्ट रूप से गलत है। क़ानून प्रतिकूल अधिकार को परिभाषित नहीं करता है, यह एक सामान्य कानून अवधारणा है, जिसकी अवधि को अनुच्छेद 65 के तहत 12 साल के रूप में वैधानिक रूप से निर्धारित किया गया है। सीमा का कानून प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को परिभाषित नहीं करता है और न ही कहीं भी। इसमें एक प्रावधान है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता है। यह केवल मुकदमा करने और अधिकारों को समाप्त करने की सीमा से संबंधित है। ऐसा मामला हो सकता है जिसमें प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकार को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने की मांग की जाती है या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन प्रवेश द्वारा बेदखल कर दिया गया है, कब्जा प्राप्त करने के उसके अधिकार का विरोध केवल तभी किया जा सकता है जब वह व्यक्ति जो अपने अधिकार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, यह दिखाने में सक्षम हो कि उसने ऐसे वादी के खिलाफ अपेक्षित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने अधिकार को भी पूर्ण कर लिया है। अनुच्छेद 64 के तहत भी स्वामित्व अधिकार के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

कानून कभी भी इस बात का इरादा नहीं रखता है कि एक व्यक्ति जिसने अधिकार को पूर्ण कर लिया है, उसे अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा दायर करने से वंचित कर दिया जाए ताकि उसे कब्जा पुनर्प्राप्त किया जा सके और उसे उपचार से वंचित किया जा सके। किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के मामले में

किसी भी अन्य अनुच्छेद को आकर्षित करने के लिए जैसे कि यदि भूमि मालिक द्वारा अपने स्वामित्व को समाप्त करने के बाद बेच दी जाती है, तो मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसने अलगाव और बेदखल करने के प्रयास पर सवाल उठाने के लिए प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है। का कानून

प्रतिकूल कब्जा केवल एक प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार के अधिग्रहण के लिए योग्य नहीं बनाता है, यह हो सकता है एक व्यक्ति द्वारा परिपूर्ण जो मुकदमा दायर कर रहा है। यह केवल अपने अधिकारों के विलुप्त होने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वामित्व की वसूली के मालिक के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

एक बार सही होने पर रेविंदर कौर ग्रेवाल वी। मंजीत कौर

समाप्त हो जाने पर कोई अन्य व्यक्ति विहित अधिकार प्राप्त कर लेता है जिसे मालिक द्वारा पुनः प्रविष्टि या बाद के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। अपने अधिकारों को स्वीकार करना। ऐसे मामले में मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार को पराजित करने की मांग की जाती है। [पारस 46-50] [129-A-H; 130-A-F]

1.4 भारत में, कानून कब्जे का सम्मान करता है, व्यक्ति नहीं हैं

कानून को अपने हाथों में लेने और कब्जे वाले व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने की अनुमति। मुकदमा केवल कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत उचित राहत के लिए स्वामित्व अधिकार के आधार पर दायर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 64 और 65 दोनों आकर्षित होते हैं। वादी के पक्ष में अधिकार का अधिग्रहण है, हालांकि यह समाप्त करने के अधिकार का नकारात्मक सम्मान है।

अधिकार। अनुच्छेद 65 में प्रारंभिक भाग में एक मुकदमा "के लिए" अचल संपत्ति के कब्जे या स्वामित्व के आधार पर उसमें किसी भी हित का उपयोग किया गया है। अभिव्यक्ति "शीर्षक" में वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अर्जित शीर्षक शामिल होगा। शीर्षक प्रतिकूल कब्जे द्वारा परिपूर्ण है। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा के अंत पर अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान करती है।

ऐसी संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा। विकसित प्रतिकूल अधिकार की अवधारणा अवधि के पूरा होने पर इससे आगे निकल जाती है और अधिकार का उन्मूलन मालिक को वही अधिकार प्रदान करता है, जिसे समाप्त कर दिया गया है और उससे अधिक नहीं। किसी व्यक्ति के लिए अधिकार के लिए मुकदमा करना इंगित करेगा कि उसे इसे प्राप्त करने का अधिकार वर्तमान में प्राप्त हुआ है, न कि भविष्य में। धारा 27 में किसी भी संपत्ति में भौतिक या अमूर्त संपत्ति शामिल होगी।

संपत्ति। अनुच्छेद 65 अचल संपत्ति से संबंधित है। [पारस 51,53-55] [130-G-H; 131-D-H; 132-A] [2019] 11 एस. सी. आर.

1.5 अधिकार स्वामित्व की जड़ है और संपत्ति की तरह ही सही है। चूंकि स्वामित्व भी विभिन्न प्रकार का होता है। एकल

स्वामित्व, आकस्मिक स्वामित्व, भौतिक स्वामित्व और कानूनी न्यायसंगत स्वामित्व। सीमित स्वामित्व या सीमित अधिकार

किसी धारक द्वारा संपत्ति का आनंद लिया जा सकता है। क्या निर्धारित किया जा सकता है

खिलाफ धारक के अधिकारों तक सीमित है। अधिकार प्रदान करता है

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रवर्तनीय अधिकार। यह देखना होगा कि किस तरह के कब्जे का आनंद लिया जाता है। वस्तुतः अर्थात्, वास्तविक, 'न्यायिक अधिकार', रचनात्मक अधिकार, संपत्ति के एक छोटे से हिस्से पर समवर्ती अधिकार। यदि मालिक प्रतीकात्मक अधिकार में है, तो कोई अधिकार नहीं है।

बेदखल, औपचारिक, अनन्य या संयुक्त कब्जा हो सकता है। संयुक्त मालिक/सह-मालिक के कब्जे को प्रतिकूल नहीं माना जाता है। व्यक्तिगत कानून भी अधिकार की प्रकृति को समझने में भूमिका निभाता है। प्रतिकूल अधिकार के लिए सभी तीन क्लासिक आवश्यकताओं को एक ही समय में सह-अस्तित्व की आवश्यकता होती है, अर्थात्, एन. ई. सी.-vi अर्थात निरंतरता में पर्याप्त, एन. ई. सी.-क्लैम अर्थात, प्रचार में पर्याप्त और एन. ई. सी.-प्रिकारियो अर्थात एक प्रतियोगी के लिए प्रतिकूल, खिताब और उसके अधिकार से इनकार में। ज्ञान। दृश्यमान, कुख्यात और शांतिपूर्ण ताकि यदि मालिक कुख्यात तथ्यों को जानने का ध्यान न रखता है, तो ज्ञान का श्रेय उसे इस आधार पर दिया जाता है कि लेकिन उचित परिश्रम के लिए वह इसे जानता। प्रतिकूल अधिकार को उस शीर्षक पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसका अनुरोध नहीं किया गया है। शीर्षक के प्रतिकूल रंग के तहत एनिमस पॉसिडेन्डी की आवश्यकता होती है। अतिचारक का लंबा कब्जा प्रतिकूल का पर्याय नहीं है।

अधिकार। अतिचारक के कब्जे को उसकी ओर से माना जाता है मालिक का, आकस्मिक उपयोगकर्ता प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं है। मालिक किसी भी समय अतिक्रमणकारी से कब्जा ले सकता है। मालिक संपत्ति की देखभाल करता है, इसकी रक्षा करता है और कृषि संपत्ति के मामले में बड़ी अवधारणा यह है कि वास्तविक जोतने वाले को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जो अपनी मेहनत से काम करती है और भूमि को खेती योग्य बनाती है। विभिन्न राज्यों में विधायिका अधिकार के आधार पर अधिकार प्रदान करती है। प्रतिकूल अधिकार वंशानुगत है और प्रतिकूल प्रभाव से निपटा जा सकता है।

अधिकार के रूप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कब्जा हस्तांतरणीय है। यह एक पूर्ण अधिकार प्रदान करता है जिसे अनुच्छेद 65 में दिए गए प्रावधान के अलावा पुनः प्रवेश पर पराजित नहीं किया जा सकता है। टैकिंग कुछ शर्तों की पूर्ति पर आधारित है, शायद द्वारा टैकिंग

खरीदार, उत्तराधिकारी या समनुदेशक आदि द्वारा कब्जा, ताकि कब्जे की निरंतरता का गठन किया जा सके, उस व्यक्ति को रेविंदर कौर ग्रेवल v का दावा करना चाहिए।

मंजीत कौर

जिनके माध्यम से इसे निपटाने की कोशिश की जाती है, और यह उसी अधिकार के तहत उसी संपत्ति की पहचान पर निर्भर करेगा। दो अलग-अलग अतिचारक अपने कब्जे से समझौता नहीं कर सकते हैं निर्धारित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार। किसी कब्जे वाले व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है और एक बार जब प्रतिकूल कब्जे की 12 साल की अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसे बाहर निकालने का मालिक का अधिकार भी समाप्त हो जाता है और मालिक उस व्यक्ति/मालिक के अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को प्राप्त कर लेता है, जिसके खिलाफ उसने निर्धारित किया है। एक बार अधिकार, अधिकार या ब्याज प्राप्त हो जाने के बाद इसका उपयोग वादी द्वारा तलवार के साथ-साथ अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार को परिपूर्ण किया है, बेदखल होने की स्थिति में कब्जे की बहाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर बेदखल करने के मामले में, अनुच्छेद 64 के तहत एक स्वामित्व मुकदमा चलाया जा सकता है, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व के पकने से पहले भी। मालिक के शीर्षक को समाप्त करने पर शीर्षक की पूर्णता से, एक व्यक्ति बिना उपचार के नहीं हो सकता है। यदि प्रतिकूल कब्जे से अधिकार खोने के बाद मालिक द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया है, तो वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे की याचिका लेकर उसे बेदखल किया जा सकता है। इसी तरह, कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से पूर्ण अधिकार रखने वाले वादी को बेदखल कर दिया हो, उसे भी तब तक बेदखल किया जा सकता है जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ पूर्ण अधिकार नहीं रखता है।

प्रतिकूल अधिकार द्वारा ऐसा वादी। इसी तरह, अन्य के तहत अनुच्छेद अपने किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में भी, एक वादी जिसने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार को परिपूर्ण किया है, मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। जब प्रतिकूल अधिकार के कानून को सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित संपत्ति के संबंध में विकसित माना जाता है, तो अदालतें प्रतिकूल अधिकार द्वारा अधिकार प्रदान करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। ऐसे उदाहरण हैं जब ऐसी संपत्तियों का अतिक्रमण किया जाता है

और फिर प्रतिकूल कब्जे की याचिका दायर की जाती है। ऐसे मामलों में, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित भूमि पर, यह वांछनीय है कि अधिकार अर्जित नहीं होने चाहिए। प्रतिकूल अधिकार का कानून कारण बन सकता है

इसलिए, यह सलाह दी जाएगी कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित ऐसी संपत्तियों के संबंध में, यह सीमा के क़ानून में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिकूल प्रभाव से कोई भी अधिकार अर्जित नहीं हो सकता है अधिकार। [पारस 56-60] [132-बी-एच; 133-ए-एच] [2019] 11 एस. सी. आर.

1.6 गुरुद्वारा साहब के निर्णय बनाम। ग्राम पंचायत गाँव

उत्तराखंड राज्य बनाम में सिरथला और उस पर निर्भर निर्णय। मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज और धर्मपाल (मृत) एल. आर. वी. के माध्यम से। पंजाब वक्फ बोर्ड को सही तरीके से कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उन्हें इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण की याचिका वादी द्वारा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत ली जा सकती है और किसी वादी के किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में उपरोक्त आधार पर मुकदमा करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 के तहत कोई रोक नहीं है। जिन विषयों पर विचार किया जाना चाहिए

उपयुक्त न्यायपीठ के समक्ष योग्यताएँ। [पारस 61,62] [134-ए-सी]

गुरुद्वारा साहब बनाम। ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला (2014) 1 एस. सी. सी. 669; उत्तराखंड राज्य बनाम। मंदिर श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज (2017) 9 एस. सी. सी. 579 [2017] 14 एस. सी. आर. 257; एल. आर. वी. के माध्यम से धर्मपाल (मृत)। पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) 11 एस. सी. सी. 449: [2017] 8 एस. सी. आर. 316-खारिज।

सारंगदेव पेरिया मातम और अन्र। वी. रामास्वामी एलआरएस द्वारा गोंडर (मृत)। ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1603; बालकृष्ण बनाम सत्यप्रकाश और अन्य। (2000) 2 एससीसी 498: [2001] 1 एस. सी. आर. 480; देस राज और अन्य। वी. एलआरएस द्वारा भगत राम (मृत)। और ओआरएस। (2007) 9 एससीसी 641: [2007] 2 एससीआर 892;

(1981) 2 एससीसी 103: [1981] 2 एस. सी. आर. 764; नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम के. सी. अलेक्जेंडर एयर 1968 एस. सी. 1165: [1968] एस. सी. आर. 163; लल्लू यशवंत सिंह (मृत) उनके कानूनी प्रतिनिधि बनाम। राव जगदीश सिंह और अन्य। एयर

1968 एससी 620: [1968] एस. सी. आर. 203; सोमनाथ बर्मन बनाम डॉ. एस. पी. राजू और अन्र. आकाशवाणी 1970 एससी 846: [1970] 2 एससीआर 869; पद्मिनीबाई बनाम। तांगव्वा और ओआरएस। ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1142; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डलहौजी इंस्टीट्यूट सोसाइटी ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1778; एस. एम. करीम बनाम एमएस. बीबी सकीना एयर 1964 एससी 1254: [1964] एस. सी. आर. 780; मंडल राजस्व अधिकारी बनाम. गौंडला वेंकैया और अन्र। (2010) 2 एस. सी. सी. 461; राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह (2000) 5 एस. सी. सी. 652: [2000] 3 एस. सी. आर. 958; हरियाणा राज्य बनाम। मुकेश कुमार और अन्य। (2011) 10 एससीसी 404: [2011] 14 एससीआर 211; पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम रेवम्मा

(2007) 6 एससीसी 59: [2007] 5 एस. सी. आर. 491; कृष्णमूर्ति रवींद्र कौर ग्रेवाल बनाम।

मंजीत कौर

एल. आर. द्वारा एस. सेटलर (मृत)। वी. ओ. वी. नरसिम्हा सेट्टी और अन्य। (2007) 3 एससीसी 569: [2007] 2 एससीआर 1097; राम दान (मृत) एलआर के माध्यम से। वी. शहरी सुधार न्यास (2014) 8 एस. सी. सी. 902 [2014] 8 एस. सी. आर. 360; हेमाजी वाघाजी जाट बनाम। भीखाभाई खेनगरभाई हरिजन और अन्य। (2009) 16 एससीसी 517: [2008] 13 एस. सी. आर. 818-निर्भर।

मुसुमत चुंड्राबुली देबिया बनाम। लुशिया देबिया चौड्रेन 1865 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 7; मिदनापुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड वी. नरेश नारायण रॉय ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 144; यार मोहम्मद बनाम। लक्ष्मी दास एयर 1959 ऑल। 1 ; मोहम्मद फतेह नसीब बनाम। स्वरूप चंद हुकुम चंद और अन्न। ए. आई. आर. 1948 पी. सी. 76; गंगा गोविंद मुंडुल और अन्य। वी. चौबीस का कलेक्टर

पर्गुना और ओआरएस। (प्रिवी काउंसिल का निर्णय) 11 एम. आई. ए 212; लाला हेम चंद बनाम। लाला प्यारे लाल और अन्य। ए. आई. आर. 1942 पी. सी. 64; अन्नाकिली बनाम ए. वेदानायगम (2007) 14

एस. सी. सी. 308 [2007] 11 एस. सी. आर. 517; नेपेन बाला देवी बनाम। सिती कांत बनर्जी (1910) 8 इंड केस 41 (डी. बी.) (कैल); नागसेपम इबोतोम्बी सिंह बनाम। वाहेंगबाम इबोहल सिंह और अन्न। ए. आई. आर. 1960 मणिपुर 16; अबूबकर पुत्र शकी मोहम्मद लालू बनाम। साहिबखतून ए. आई. आर. 1949 सिंध 12; बाटा क्रिस्टा प्रामाणिक बनाम। ठाकुर जोगेंद्र के शेबैट्स

नाथ मैती और ओआरएस। ए. आई. आर. 1919 कैल. 339 ; रामचंद्र सिल और अन्य। वी. रमनमणि दासी और अन्य। ए. आई. आर. 1917 कैल. 469 ; शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति,

खुलना और ओआरएस। (1900) आई. एल. आर. 27 कैल. 943 ; गुरुद्वारा साहिब सन्नौली बनाम। पंजाब राज्य (2009) 154 पी. एल. आर. 756; टी. अंजनाप्पा बनाम। सोमलिंगप्पा (2006) 7 एससीसी 570: [2006] 5 पूरक। एससीआर 200; भीम सिंह और अन्य। वी. जिला सिंह और अन्य। AIR 2006 P & H 195; राजस्थान राज्य [2019] 11 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. महावीर ऑयल इंडस्ट्रीज (1999) 4 एस. सी. सी. 357: [1999]

2 एससीआर 798; बस्तियों के निदेशक, ए. पी. बनाम. एम. आर.

अप्पाराव (2002) 4 एस. सी. सी. 638 [2002] 2) एस. सी. आर. 661;

538 [1998] 1 एस. सी. आर. 719-संदर्भित। फेयरवेदर वी। सेंट मेरिलबोन प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड (1962)

2 ए. ई. आर. 288 (एच. एल.); टेलर बनाम ट्विनबेरो 1930 ऑल ईआर

प्रतिनिधि 342 (डी. सी.); टोल्टेक रैंच कं. वी. कुक, 191 यू. एस

532 , 542 (1903) ; फील्ड वी। लोग, 180 बीमार। 376 , 383 , 54 एन. ई. 304 (1899); बेलेफोंटेन कं. वी. नाइडरिंगहॉस

181 बीमार हैं। 426 , 55 एन. ई. 184 (1899); सी. एफ. ला सैले बनाम। सैनिटरी जिला, 260 बीमार। 423 , 429 , 103 एन. ई. 175

आदि। को. वी. ईस्ट टेन। आई. एंड सी. कंपनी, 105 टेन। 563 ; 59 एस. डब्ल्यू. 634,636 (1900); टिचबोर्न वी। वीर, (1892) 67

एलटी 735; पेरी बनाम। क्लिसोल्ड (1907) एसी 73-संदर्भित

को।

कानूनी इतिहास पर। 197 ; 3 एंग्लो-अमेरिकन निबंध, 567--संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2014) 1 एस. सी. सी. 669

खारिज कर दिया गया

पैरा

(2009) 154 पीएलआर 756

संदर्भित किया गया है

पैरा -

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1966 एस. सी. 1603

पैरा

[2001] 1 एससीआर 480

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2007] 2 एससीआर 892

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1981] 2 एससीआर 764

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1968] एससीआर 163

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1968] एससीआर 203

उस पर भरोसा करें

पैरा

आकाशवाणी 1924 पी. सी. 144

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1959 ऑल। 1

पैरा रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर

[1970] 2 एससीआर 869

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर 1979 एस. सी. 1142

पैरा 15

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर. 1970 एससी 1778

पैरा 16

पैरा 17

एयर 1948 पीसी 76

संदर्भित किया गया है

11 एम. आई. ए 212

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1964] एससीआर 780

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(2010) 2 एस. सी. सी. 461

पैरा 20

उस पर भरोसा करें

[2000] 3 एससीआर 958

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[2007] 11 एससीआर 517

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2007] 5 एससीआर 491

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[2011] 14 एससीआर 211

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2007] 2 एससीआर 1097

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

पैरा 29

एयर 1942 पीसी 64

संदर्भित किया गया है

[2014] 8 एससीआर 360

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

(1910) 8 इंड कैस 41 (डी. बी.) (कैल)

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

आकाशवाणी 1960 मणिपुर 16

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1949 सिंध 12

पैरा 34

पैरा 34

ए. आई. आर. 1919 कैल. 339

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1917 कैल. 469

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1933 लाह 25

पैरा 34

एयर 1925 मैड। 1005

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

1928 आईसी 81 (पीसी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

ए. आई. आर. 1937 नागपुर 281

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

(1989) 4 एससीसी 131

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 एससीआर 176

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

(1900) आई. एल. आर. 27 कैल. 943

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2008] 13 एससीआर 818

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

[2006] 5 पूरक। एससीआर 200

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 14 एससीआर 257

खारिज कर दिया गया

पैरा 40

[2017] 8 एससीआर 316

खारिज कर दिया गया

पैरा 41

ए. आई. आर. 2006 पी एंड एच 195

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[1999] 2 एससीआर 798

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा 47

[1998] 1 एससीआर 719

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7764

2014 से।

उच्च न्यायालय के 27.11.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2004 के आर. एस. ए. सं. 946 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

परवीन कुमार अग्रवाल, संजय जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. वर्तमान मामलों में शामिल कानून का सवाल काफी है।

महत्वपूर्ण है। क्या प्रतिकूल अधिकार के आधार पर अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति अधिकार की घोषणा के लिए और अपने अधिकार के संरक्षण की मांग करने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, "अधिनियम") के अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा कर सकता है जिससे प्रतिवादी को प्रतिबंधित किया जा सके।

एक प्रतिवादी द्वारा अवैध विस्थापन के मामले में कब्जे में हस्तक्षेप करने या कब्जे की बहाली के लिए जिसका अधिकार दिया गया है

वादी के प्रतिकूल कब्जे में रहने के कारण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेदखल किए जाने के मामले में? दूसरे शब्दों में, क्या अधिनियम का अनुच्छेद 65 केवल एक व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में ढाल के रूप में प्रतिकूल कब्जे की याचिका स्थापित करने में सक्षम बनाता है और इस तरह की याचिका का उपयोग वादी द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे की रक्षा करने या बेदखल होने की स्थिति में इसे बरामद करने के लिए तलवार के रूप में नहीं किया जा सकता है। क्या इस तरह के मामले में वह बिना उपचार के है? यदि किसी व्यक्ति ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने स्वामित्व को पूर्ण कर लिया है और संपत्ति को मालिक द्वारा उसके स्वामित्व के समाप्त होने के बाद बेच दिया जाता है, तो बिक्री और कब्जे में हस्तक्षेप से बचने या बेदखल होने की स्थिति में इसकी बहाली के लिए किसी व्यक्ति का क्या उपाय है?

रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

गलत काम करने वालों को अधिकार प्रदान करता है। प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा लगभग 2000 साल पहले हम्मुराबी की संहिता में दिखाई दी थी। ईसा मसीह का युग। कानून 30 में एक प्रावधान था "यदि कोई सरदार या कोई व्यक्ति अपना घर, बगीचा और खेत छोड़ देता है. और कोई अन्य व्यक्ति अपने घर, बगीचे और खेत पर कब्जा कर लेता है और तीन साल तक इसका उपयोग करता है; यदि पहला मालिक लौटता है और अपने घर, बगीचे और खेत पर दावा करता है, तो उसे यह नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिसने इसे कब्जा कर लिया है और इसका उपयोग किया है वह इसका उपयोग करना जारी रखेगा।" हालाँकि, उपरोक्त नियम का एक अपवाद थाः युद्ध में पकड़े गए या मारे गए सैनिक के लिए और मालिक के किशोर बेटे के मामले में। रोमन काल में, भूमि से जुड़ा हुआ, एक प्रकार की आत्मा जिसे स्वामी द्वारा पोषित किया गया था। माना जाता था कि भूमि के मालिक या उपयोगकर्ता के पास भूमि का अधिक "स्वामित्व" था। हम.

पूर्ववर्ती ब्रिटिश उपनिवेश का एक हिस्सा होने के नाते, सामान्य कानून की अवधारणा विरासत में मिली। विलियम ने 1066 में क्राउन के तहत भूमि के समेकित स्वामित्व को स्थापित किया। वेस्टमिंस्टर का क़ानून 1275 में आया जब भूमि अभिलेख अक्सर दुर्लभ थे और साक्षरता दुर्लभ थी, स्वामित्व का सबसे अच्छा प्रमाण कब्जा था। 1639 में, सीमा के क़ानून ने कब्जे की वसूली के लिए 20 साल की अवधि निर्धारित की। एक विचार भी विकसित किया गया था कि वह व्यक्ति जो भूमि का मालिक है और अंतिम लाभ के लिए कुछ उत्पादन करता है।

समाज के लिए, भूमि का सबसे अच्छा खिताब होना चाहिए। भूमि के वास्तविक जोतने वाले को अधिकार प्रदान करने के लिए भूमि से संबंधित राजस्व कानून बनाए गए हैं। 1540 में वसीयतों के क़ानून ने भूमि को उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी। 1660 में अधिनियमित कार्यकालों के क़ानून ने सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया और शीर्षक की अवधारणा का निर्माण किया। प्रतिकूल अधिकार कानून के एक हिस्से के रूप में बना रहा और अभी भी मौजूद है। प्रतिकूल अधिकार की अवधारणा की जड़ इस पहलू में है कि यह उस व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व प्रदान करता है जो भूमि का सबसे अच्छा या सबसे अधिक उपयोग करता है। जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है वह बेकार भूमि से अधिक मूल्यवान है, यह उपयोगितावाद की अवधारणा है। इस प्रकार यह अवधारणा समग्र रूप से समाज को भूमि के प्रतिकूल रूप से धारण किए जाने से लाभान्वित होने की अनुमति देती है, लेकिन "वास्तविक मालिक" को भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवधि की अनुमति देती है। प्रतिकूल अधिकार कानून कमजोर या अनिश्चित भूमि के साथ "जंगली" भूमि के तेजी से विकास की अनुमति देते हैं।

शीर्षक। यह प्रशासन के सिद्धांत में भी मदद करता है क्योंकि यह शीर्षक के बादलों को हटाने या ठीक करने का एक प्रभावी और कुशल तरीका हो सकता है जो यादों के साथ मंद हो जाते हैं और सबूत अस्पष्ट हो जाते हैं। भूमि का रखरखाव और सुधार करने वाले स्वामी का भूमि पर अधिक वैध दावा है, उस स्वामी की तुलना में जो कभी भी भूमि का दौरा नहीं करता है या भूमि की देखभाल नहीं करता है और इसका उपयोग नहीं करता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

पूर्व मालिक उपेक्षा करता है और अपने और जो वह दावा कर रहा है, उसके बीच क्रमिक अलगाव की अनुमति देता है और वह जानता है कि कोई और कार्य करके परवाह कर रहा है, जो लगाव देखभाल से विकसित होता है उसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। सामग्री का बंडल प्रतिकूल होता है। अधिकार।

3. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है

अधिकार की घोषणा और अधिकार का संरक्षण या अधिकार की बहाली। प्रतिकूल कब्ज़े द्वारा अर्जित अधिकार की प्रकृति और यहां तक कि अन्यथा भी वादी के गैरकानूनी कब्ज़े से कब्जे की रक्षा करने या अवैध कब्ज़े के मामले में इसकी वसूली के अधिकार के रूप में। 4. इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले, गुरुद्वारा साहब बनाम में निर्णय को संदर्भित करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला (2014) 1

एस. सी. सी. 669 जिसमें इस न्यायालय ने गुरुद्वारा साहिब सन्नौली बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। पंजाब राज्य ने तब से (2009) 154 पी. एल. आर. 756 में यह मत व्यक्त किया है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का उपयोग प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में किया जा सकता है न कि वादी द्वारा तलवार के रूप में। इस न्यायालय ने प्रश्न का निर्णय करते समय केवल यह टिप्पणी करते हुए एकमात्र कारण दिया कि प्रस्ताव के साथ इस हद तक "कोई झगड़ा" नहीं है कि वाद वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे पर आधारित नहीं हो सकता है। इस प्रकार, इस बिंदु का गुरुद्वारा साहिब बनाम में विरोध नहीं किया गया था। राज्य ग्राम पंचायत गाँव, सिरथला (ऊपर) जब इस न्यायालय ने राय व्यक्त की।

5. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस अदालत के उपरोक्त फैसले से पहले, इस अदालत का ऐसा कोई फैसला नहीं था जिसमें उस मुकदमे को माना गया हो।

प्रतिकूल अधिकार के आधार पर वादी द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है। वृहद और समन्वय पीठों के विपरीत विचार इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के विचार के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिसने उपरोक्त मामले का फैसला किया था। 6. सारंगदेव पेरिया मातम और अन्न में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। वी. एलआरएस द्वारा रामास्वामी गोंडर (मृत)। इस न्यायालय का ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1603 जिसमें मुसुमत में प्रिवी काउंसिल का निर्णय

चुंद्राबुली देबिया बनाम। लुशिया देबिया चौड्रेन 1865 एस. सी. सी. ऑनलाइन रेवाइंडर कौर ग्रेवाल बनाम।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

पी. सी. 7 पर भरोसा किया गया था, जिसे गुरुद्वारा साहिब बनाम का फैसला करने वाली खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था। ग्राम पंचायत, सिरथला।

7. विद्वान न्यायमित्र ने बताया कि सारंगदेव पेरिया में

वादी जनवरी 1950 तक मुक़दमे की ज़मीन के कब्जे में था जब 'मठ' ने भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 18 फरवरी, 1954 को, वादी

"प्रतिकूल कब्जे" के माध्यम से भूमि के स्वामित्व के अधिग्रहण के आधार पर सूट भूमि के "कब्जे की वसूली" के लिए 'मठ' के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि वादी ने अपने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त कर लिया है और वह कब्जे की वसूली करने का हकदार है। प्रासंगिक चर्चा निम्नलिखित हैः

भूमि वर्तमान वाद का विषय है। 1883 से जनवरी 1950 तक चिन्ना गोपिया गौंडर और उनके वंशज सूट भूमि के निर्बाध कब्जे और आनंद में थे। 1915 में, किसी उत्तराधिकारी को नामित किए बिना मठधिपति की मृत्यु हो गई। 1915 से चिन्ना गोपिया गौंडर के वंशजों ने कोई भुगतान नहीं किया। गणित को किराए पर दें। 1915 और 1939 के बीच कोई मठधिपति नहीं था। एक बसवन चेट्टी प्रबंधन में था

1915 से 20 साल की अवधि के लिए गणित। वर्तमान मठधिपति

1939 में मठ के शिष्यों द्वारा चुना गया था। 1928 में, मदुरै के कलेक्टर ने इनाम भूमि को फिर से शुरू करने और भूमि के पूर्ण मूल्यांकन और उसके रखरखाव के लिए मठ को मूल्यांकन के भुगतान का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। फिर से शुरू होने के बाद, भूमि को इनाम भूमि के "बी" रजिस्टर से रैयतवाड़ी भूमि के "ए" रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया और एक संयुक्त पट्टा जारी किया गया।

वादी और भूमि के कब्जे वाले अन्य व्यक्तियों का नाम। वादी ने जनवरी 1950 तक वाद भूमि पर कब्जा करना जारी रखा जब मठ ने भूमि पर कब्जा कर लिया। 18 फरवरी, 1954 को, वादी ने मठ के वर्तमान मठधिपति और मठ के एक एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मुकदमे की भूमि के कब्जे की वसूली का दावा करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वादी ने दावा किया कि उसने प्रतिकूल कब्जे और [2019] 11 एस. सी. आर. द्वारा भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया।

इनाम की बहाली पर उनके पक्ष में एक रैयतवारी पट्टा जारी किया गया। डिंडीगुल के अधीनस्थ न्यायाधीश ने वादी के आदेश को स्वीकार कर लिया

विवाद किया और मुकदमा तय किया। अपील पर, मदुरै के जिला न्यायाधीश ने आदेश को रद्द कर दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। दूसरी अपील पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया। प्रतिवादी अब विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील करते हैं। अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी-प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया गया है।

2. वादी ने वाद के अधिकार का दावा निम्नलिखित पर कियाः आधारः (1) 1915 से उनके और उनके पूर्ववर्तियों के हित में भूमि पर प्रतिकूल कब्जा था, और 1927 में 12 साल की समाप्ति पर, उन्होंने एस के तहत भूमि पर निर्धारित अधिकार प्राप्त कर लिया। 28 पढ़िए

एस के तहत भूमि के लिए विहित अधिकार अर्जित किया। 28 कला के साथ पढ़ें। 134 - भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 का बी। हमारी राय है कि वादी के पहले तर्क को स्वीकार किया जाना चाहिए, और यह इसलिए, उसके दावे के अन्य दो आधारों पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

6. हम उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। कला के तहत। 144 भारतीय सीमा अधिनियम, 1908, एक गणित द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने के लिए इसका प्रतिनिधित्व करने वाले मुकदमे के लिए सीमा

संपत्ति रखने और मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता रखने वाले। एक आदर्श व्यक्ति होने के नाते, उसे अनिवार्य रूप से मानव एजेंसी के माध्यम से अपने लौकिक मामलों के संबंध में कार्य करना चाहिए। बाबाजीराव वी. देखें। लक्ष्मीदास (1904) आई. एल. आर. 28 बम 215 (223)। यह प्रिस्क्रिप्शन द्वारा संपत्ति प्राप्त कर सकता है और इसी तरह प्रतिकूल कब्जे से संपत्ति खो सकता है। यदि अपनी संपत्ति के कब्जे में होने के दौरान गणित है

बेदखल या यदि किसी अजनबी का कब्जा प्रतिकूल हो जाता है, तो उसे चोट लगती है और उसे रेवाइंडर कौर ग्रेवाल v की वसूली के लिए मुकदमा करने का अधिकार है।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

संपत्ति। यदि कानूनी रूप से नियुक्त मठधिपति है, तो वह कर सकता है

उसकी ओर से मुकदमा स्थापित करें; यदि नहीं, तो वास्तविक मठधिपति ऐसा कर सकते हैं, महादेव प्रसाद सिंह बनाम देखें। करिया भारती 62 इंड

अपनी ओर से मुकदमा करने का अधिकार रखने वाले प्राप्तकर्ता की नियुक्ति, या द्वारा नियुक्त एक अगले मित्र द्वारा अपने नाम पर एक सूट की स्थापना द्वारा

अदालत। उचित परिश्रम के साथ, गणित या जो इसमें रुचि रखते हैं

समय की भागदौड़ से बच सकते हैं। के खिलाफ सीमा का चलना

कला के तहत गणित। 144 की अनुपस्थिति से निलंबित नहीं किया जाता है

कानूनी रूप से नियुक्त मठधिपति; स्पष्ट रूप से, सीमाएँ चलेंगी

इसके खिलाफ जहां यह एक वास्तविक मठधिपति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। देखें।

विट्ठलबोवा बनाम। नारायण दाजी, (1893) आई. एल. आर. 18 बम 507 पी. 511 , और हम सोचते हैं कि यह समान रूप से चलेगा यदि न तो कोई डी ज्यूर है और न ही कोई

वस्तुतः मठधिपति।

10. हम इसे कला के संचालन से मानते हैं। 144 एस के साथ पढ़ें। 28 में से

भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 मुकदमे के लिए गणित का शीर्षक 1927 में भूमि समाप्त हो गई और वादी ने अधिकार प्राप्त कर लिया

प्रिस्क्रिप्शन द्वारा भूमि पर। उन्होंने कब्जा करना जारी रखा

जनवरी 1950 तक भूमि। यह पाया गया है कि जनवरी 1950 में

उन्होंने स्वेच्छा से भूमि का कब्जा मठ को सौंप दिया, लेकिन

कब्जे की इस तरह की डिलीवरी ने किसी भी शीर्षक को मठ में स्थानांतरित नहीं किया। मुकदमा 1954 में स्थापित किया गया था और समय के भीतर है।

(जोर दिया गया) "

8. बालकृष्ण बनाम सत्यप्रकाश और अन्य में। , 2001 (2) एससीसी 498,

एक समन्वय पीठ द्वारा निर्णय लिया गया, वादी ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया

प्रतिकूल अधिकार और स्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर अधिकार। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या वादी ने प्रतिकूल अधिकार द्वारा अपने अधिकार को परिपूर्ण किया था। इस न्यायालय ने निर्धारित

किया है कि प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून अच्छी तरह से स्थापित है, प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले व्यक्ति को तीन क्लासिक आवश्यकताओं यानी एन. ई. सी. एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. एल. ए. एम. और एन. ई. सी. प्रिकारियो को साबित करना होता है। निचली अदालत के साथ-साथ प्रथम अपीलीय अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने प्रतिकूल अधिकार के आधार पर वादी के मुकदमे का आदेश देते हुए निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को बहाल किया और कहाः

" 6. इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है

यह हैः क्या उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि अपीलार्थी के पास [2019] 11 एस. सी. आर. था।

इस आधार पर प्रतिकूल कब्जे से अपने खिताब को परिपूर्ण नहीं किया कि

उसके खिलाफ कब्जा देने के लिए एक तहसीलदार का आदेश था

सूट की भूमि नीलामी खरीदारों को।

7. प्रतिकूल कब्जा द्वारा शीर्षक को पूर्ण करने के संबंध में कानून है

अच्छी तरह से व्यवस्थित। प्रतिकूल अधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को तीन "गर्दन" साबित करें-एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. क्लैम और एन. ई. सी. प्रिकारियो। अन्य में

शब्दों में, उसे यह दिखाना चाहिए कि उसका अधिकार निरंतरता में पर्याप्त है प्रचार में और हद तक। एस. एम. करीम बनाम। बीबी सकीना [1964] 6

एस. सी. आर. 780 इस अदालत के लिए बोलते हुए हिदायतुल्ला, जे. (जैसा कि वे तब थे)

इस प्रकार देखा गयाः

" प्रतिकूल अधिकार निरंतरता में, प्रचार में पर्याप्त होना चाहिए।

और सीमा और एक याचिका की आवश्यकता होती है कम से कम यह दिखाने के लिए कि कब

कब्जा प्रतिकूल हो जाता है ताकि सीमा का प्रारंभिक बिंदु

प्रभावित पक्ष के खिलाफ पाया जा सकता है।

14. एस. के. में। मुकबूल अली बनाम एस. के. वाजेद हुसैन, (1876) 25 डब्ल्यूआर 249

उच्च न्यायालय ने कहाः

" जो भी डिक्री हो सकती है, प्रतिवादी का अधिकार

यह नहीं माना जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप बंद हो गया है डिक्री, जब तक कि उसे वास्तव में बेदखल नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि वहाँ

उसके खिलाफ एक डिक्री सीमा के क़ानून को नहीं रोकती है भागने से। "

15. हमारे विचार में, मद्रास उच्च न्यायालय ने सही ढंग से निर्धारित किया

उपरोक्त मामलों में कानून।

17. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि निर्णय और

चुनौती के तहत उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। उन्हें तदनुसार अलग कर दिया जाता है और निर्णय और डिक्री

के निर्णय और डिक्री की पुष्टि करने वाला पहला अपीलीय न्यायालय निचली अदालत को बहाल कर दिया गया है। तदनुसार अपील की अनुमति है लेकिन

बिना किसी लागत के मामले की परिस्थितियाँ।

(जोर दिया गया)

9. देस राज और ओआरएस में। वी. एलआरएस द्वारा भगत राम (मृत)। और

(2007) 9 एस. सी. सी. 641, वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए दायर एक मुकदमा

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आईएसओ। द.

टीएस ने नीचे प्रतिकूल के आधार पर वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया

एस. एस.। इस न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय ने विचार किया अधिनियम में अनुच्छेद 64 और 65 के साथ-साथ रेविंदर कौर ग्रेवाल v.

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

लेस्स 142 और 144। मुद्दा संख्या 1 तैयार किया गया था कि क्या वादीप्रतिकूल कब्जे के माध्यम से मुकदमा संपत्ति का मालिक है? अदालत ने कहा है कि प्रतिकूल कब्जे की याचिका निर्विवाद रूप से थी

अधिनियम के अनुच्छेद 64 और 65 द्वारा शासित। इस अदालत ने चर्चा की है

इस प्रकार कहेंः

एक्ट करें। 22. अपने आप में शीर्षक का दावा करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है।

वर्ष 1977। वर्ष 1978 में एक और मुकदमा दायर किया गया था जिसे वर्ष 1984 में फिर से खारिज कर दिया गया था। यह सच हो सकता है, जैसा कि निचली अदालतों के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है, कि एक सह-मालिक विभाजन के लिए क्रमिक मुकदमे ला सकता है कार्रवाई का कारण, इसलिए, एक निरंतर कारण होगा। लेकिन, यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक मुकदमे की लंबितता 'सीमा' का संचालन बंद नहीं करती है। तथ्य यह है कि प्रतिवादियों ने वर्ष 1953 में अधिकारों के राजस्व निपटान रिकॉर्ड में कथित प्रविष्टि के बावजूद वादी को विशेष रूप से अधिकार रखने की अनुमति दी थी और वे संपत्तियों पर कब्जा करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए थे।

ग्राम समलेउ में और/या अन्यथा इसका लाभ उठाते हुए, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि उक्त वाद की स्थापना से पहले भी

वादी-प्रत्यर्थी इसके शत्रुतापूर्ण कब्जे में था।

24. किसी भी स्थिति में वादी ने कम से कम वर्ष 1968 में दायर मुकदमे में अपने लिखित बयान में संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए अपनी शत्रुतापूर्ण घोषणा की। इस प्रकार, कम से कम 1968 के बाद से, वादी के पास विशेष रूप से एक ज्ञान के साथ मुकदमा भूमि का स्वामित्व बना रहा।

प्रतिवादियों में से-अपीलार्थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. इसलिए, सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 में

इस प्रकृति के मामले की अपनी भूमिका है, यदि 1953 से नहीं, लेकिन कम से कम 1968 से। यदि ऐसा है, तो उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि

प्रत्यर्थी ने प्रतिकूल कब्जा और निष्कासन द्वारा अपने खिताब को परिपूर्ण किया

इसे कानून में दूषित नहीं कहा जा सकता है।

28. हम इस न्यायालय के हाल के फैसले से भी अनजान नहीं हैं।

गोविंदम्मल बनाम। आर. पेरुमल चेट्टियार और ओआरएस। , (2006) 11 एससीसी

600 जहाँ यह आयोजित किया गया थाः (एस. सी. सी पी. 606, पैरा 8)

" प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से बाहर करने के लिए, किसी को नेतृत्व करना पड़ता है

यह दिखाने के लिए निश्चित सबूत कि पार्टी के शत्रुतापूर्ण हित के लिए

कि एक व्यक्ति के पास अधिकार है और इसे कैसे साबित किया जा सकता है

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

31. हम मामले में प्राप्त होने वाले विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि वादी-प्रतिवादी ने स्थापित किया था

कि उसने प्रतिवादी-अपीलार्थियों को अपदस्थ करके उपाधि प्राप्त की

अपने आप में शत्रुतापूर्ण उपाधि की घोषणा करना जो इसके ज्ञान के लिए था

उनके सह-भागीदार "।

(जोर दिया गया)

10. क्षितिज चंद्र बोस बनाम। रांची के आयुक्त, (1981)

2 एस. सी. सी. 103 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न पर विचार किया। वादी ने एक मुकदमा दायर किया है हुकुम्नामा और 30 से अधिक वर्षों के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार की घोषणा और कब्जे की वसूली। निचली अदालत ने 'स्वामित्व' के साथ-साथ 'प्रतिकूल अधिकार' दोनों आधारों पर मुकदमे का फैसला सुनाया। वादी की अपील को इस अदालत ने स्वीकार कर लिया था। यह देखा गया है

इस न्यायालय द्वारा कि मामले में वादी के निरंतर आचरण से प्रतिकूल अधिकार स्थापित किया गया था, कब्जा नगरपालिका के पूर्ण ज्ञान के प्रतिकूल था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय प्रतिकूल कब्जे के बारे में निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और न्यायिक आयुक्त को मामले की रिमांड का आदेश नहीं दे सकता था।

रिमांड के आदेश और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। इस अदालत ने वादी के पक्ष में अधिकार की घोषणा और कब्जे की वसूली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री को बहाल किया, इस मामले को इस प्रकार निपटा हैः

" 2. वादी अपने अधिकार की घोषणा और वसूली के लिए मुकदमा दायर करता है।

कब्जा और एक स्थायी निषेधाज्ञा जो रेवाइंडर कौर ग्रेवाल v को प्रतिबंधित करती है।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रतिबादी नगरपालिका के कब्जे को बाधित करने से

वादी। ऐसा प्रतीत होता है कि वाद से पहले, धारा के तहत कार्यवाही

145 उन पक्षों के बीच शुरू किया गया था जिसमें मजिस्ट्रेट

यह पाया गया कि वादी के कब्जे में नहीं था, लेकिन उसने

नियत समय में बेदखल होने तक भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा

कानून से। 3.
मुकदमे में वादी ने प्लॉट नं.

1735 , रांची नगरपालिका का वार्ड संख्या 1 इस आधार पर कि वह

एक हुकुमनामा के आधार पर भूमि का अधिकार प्राप्त किया था
उसे मकान मालिक द्वारा 17 अप्रैल, 1912 तक, जो पूर्व है। 18 .

मालिकाना हक के सवाल के अलावा, वादी ने आगे दलील दी कि

भले ही भूमि प्रतिवादी नगरपालिका की हो, उसके पास था

भूमि के कब्जे में होने के कारण पर्चे द्वारा अधिग्रहित अधिकार
30 से अधिक वर्षों से नगरपालिका का ज्ञान, अर्थात

कहने के लिए, 1912 से 1957 तक।

10. अंत में, उच्च न्यायालय ने सोचा कि विचाराधीन भूमि के रूप में

इसमें टंकी का एक हिस्सा या उससे जुड़ी भूमि शामिल होती है,
प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं हो सका। यह दृश्य भी प्रतीत होता है

गलत होना। यदि कोई व्यक्ति एक टैंक को भी शत्रुतापूर्ण उपाधि देता है जो

जैसा कि नगरपालिका द्वारा दावा किया गया था, इसका था और शत्रुतापूर्ण होने के बावजूद

स्वामित्व का दावा करने के लिए मालिक द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए थे, (अर्थात्,

इस मामले में नगरपालिका), अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के लिए, उसका शीर्षक

प्रिस्क्रिप्शन तीस साल बाद पूरा हो जाएगा। ”

(जोर दिया
गया)

11. नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम। के. सी. अलेक्जेंडर, आकाशवाणी 1968

एस. सी. 1165, वादी ने 70 वर्षों से अधिक समय से कब्जे में होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। वादी ने सोसायटी, उसके प्रबंधक और प्रतिवादियों से 6 तक अतिरिक्त भूमि के कब्जे का दावा किया। सोसायटी ने वादी के निष्कासन के लिए मुकदमा लाने या मुआवजे के लिए उसके दायित्व के अधिकारों से इनकार कर दिया। वैकल्पिक रूप से, समाज ने सुधार के मूल्य का दावा किया। उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया मुख्य विवाद यह था कि क्या वादी स्वामित्व के प्रमाण के बिना कब्जे के लिए मुकदमा चला सकता है। इस अदालत ने कहा कि यदि सही मालिक सीमा की अवधि के भीतर आगे नहीं आता है तो उसका अधिकार खो जाता है, और स्वामित्व

मालिक एक पूर्ण शीर्षक प्राप्त करता है। वादी वास्तव में कब्जे में था और कब्जे में रहने का हकदार था और केवल राज्य ही उसे बेदखल कर सकता था। राज्य को इस मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

समाज अपने अधिकार पर एक हिंसक आक्रमण था और कानून में, जैसा कि भारत में है, वादी विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व का मुकदमा कर सकता है। वादी ने दावा किया है कि उसने "प्रतिकूल कब्जे" से अपने अधिकार को पूरा किया था, लेकिन वह घोषणा प्राप्त करने के लिए एक मुकदमे में राज्य में शामिल नहीं हुआ था। कहा जा सकता है कि उन्होंने अधिग्रहित शीर्षक पर मुकदमा नहीं चलाया था। इस प्रकार मुकदमा उस व्यक्ति से कब्जे की वसूली तक सीमित था जिसने उसके खिलाफ अतिक्रमण किया था। न्यायालय ने कहा कि वादी के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए, राज्य सरकार यानी भूमि के मालिक को मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल करना आवश्यक था। एक वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एक मुकदमा कायम रख सकता है क्योंकि वह पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" (17) हमारे निर्णय में यह हमारी समस्या के लिए एक गलत दृष्टिकोण शामिल है। अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए हम 1907 ए. सी. 73 को पढ़कर यह पता लगाने के लिए शुरू कर सकते हैं कि क्या यह सिद्धांत कि अधिकार सभी के खिलाफ अच्छा है, लेकिन असली मालिक किसी भी तरह से अलग है। 1907 ए. सी. 73 ने काफी स्पष्ट रूप से बताते हुए सिद्धांत की पुष्टि कीः

" इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो मालिक के रूप में भूमि का कब्जा रखता है और शांतिपूर्ण तरीके से भूमि का उपयोग करता है

स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी तरह से अच्छा खिताब है लेकिन सही मालिक। और यदि सही मालिक आगे नहीं आता है और मामले में लागू सीमा के क़ानून के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कानून की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं करता है, तो उसका अधिकार हमेशा के लिए है।

बुझा दिया जाता है, और स्वामित्व स्वामी एक निरपेक्ष प्राप्त करता है

शीर्षक "।

इसलिए, वादी जो शांतिपूर्ण रूप से कब्जे में था, उसे कब्जे में रहने का अधिकार था और केवल राज्य ही उसे बेदखल कर सकता था। सोसायटी की कार्रवाई उसके कब्जे पर एक हिंसक आक्रमण था और कानून में, जैसा कि भारत में है, वादी विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मालिक का मुकदमा कायम रख सकता है जिसमें शीर्षक महत्वहीन या कब्जे के लिए मुकदमा होगा। 12 वर्षों के भीतर जिसमें शीर्षक का सवाल उठाया जा सकता था। चूंकि यह बाद के प्रकार के शीर्षक का एक सूट था, इसलिए इसकी जांच की जा सकती थी। लेकिन किसका शीर्षक? मान लीजिए कि कोई भी पक्ष खिताब स्थापित नहीं कर सका। वादी ने कम से कम सीमा के क़ानून का अनुरोध किया और जोर देकर कहा कि उसने प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है। लेकिन चूंकि वह घोषणा प्राप्त करने के लिए अपने मुकदमे में राज्य में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने मामले को अधिग्रहित अधिकार पर नहीं रखा था। इस प्रकार उनका मुकदमा उस व्यक्ति से अधिकार की वसूली तक सीमित था जिसने रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम के खिलाफ अतिक्रमण किया था।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

उसे। इस प्रकार जाँच इस ओर संकुचित हो जाती हैः क्या समाज के पास कोई था

अपने आप में शीर्षक, क्या यह प्राधिकरण के तहत कार्य कर रहा था या निहित था

असली मालिक या यह सिर्फ किसी तीसरे पक्ष में एक शीर्षक का अनुरोध कर रहा था? को।

पहले दो प्रश्नों का उत्तर देने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है।

यह स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। तो केवल सवाल यह है कि क्या

प्रतिवादी यह दलील दे सकता है कि शीर्षक राज्य में था? तब से

अतिक्रमण करने वालों के बीच ऐसा हर मामला उत्कृष्ट होना चाहिए।

उसे केवल पूर्व अतिक्रमणकारी को बेदखल करना होता है और बहुत विनती करते हुए बैठना होता है। कि शीर्षक किसी और में है। जैसा कि एर्ले जे ने इसे बर्लिंग वी में रखा है। पढ़िए।

(1848) 11 क्यू. बी. 904 'दल सोच सकते हैं कि उन्होंने कुछ हासिल किया है।

बस रात में जमीन पर घुसपैठ करके, एक झोपड़ी चलाकर और सुबह से पहले उस पर कब्जा कर लिया। यह विध्वंसक होगा

मौलिक सिद्धांत जो हमेशा स्वीकार किया गया था और था

1907 ए. सी. 73 में इसकी पुष्टि की गई। इसलिए कानून इसे स्वीकार नहीं करता है।

'निष्कर्ष रखने' का सिद्धांत।

लेकिन हम 1907 ए. सी. 73 में इस उक्ति को स्वीकार करते हैं। इसके बाद कोई मामला नहीं उस दृष्टिकोण से हटकर हमारे ध्यान में लाया गया है। कोई शक नहीं।

(1849) 13 क्यू. बी. के दो मामलों पर एक बड़ा विवाद मौजूद है।

945 और (1865) 1 क्यू. बी. 1 लेकिन इसे अंततः हल किया जाना चाहिए।

1907 ए. सी. 73 तक। एक समान दृष्टिकोण लगातार लिया गया है

भारत और भारतीय सीमा अधिनियम के संशोधन ने दिया है 1907 ए. सी. 73 में स्वीकार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी और हो सकता है

भारत में कानून की घोषणात्मक माना जाता है। हम मानते हैं कि सूट

बनाए रखने योग्य था। "

(जोर दिया गया)

12. लल्लू में अपने कानूनी प्रतिनिधि द्वारा यशवंत सिंह (मृत)

o जगदीश सिंह और अन्य। , ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 620, इस न्यायालय ने

वेद ने कहा कि जबरन कब्जा करना अवैध है। भारत में, लोग हैं

मालिक को बल या धमकी देकर फिर से प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।कानून के तहत आगे बढ़ना होगा और जबरन कब्जा करना होगा

गैल। अदालत ने मिदनापुर में प्रिवी काउंसिल के फैसले की पुष्टि की

एन. डी. आर. कंपनी लिमिटेड वी. नरेश नारायण रॉय ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 144

उनके निर्णय और आयोजित किए गएः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. मिदनापुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड बनाम। नरेश नारायण रॉय, 51 इंड ऐप 293 = पृ. 299 (ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 144 पी. 147), प्रिवी काउंसिल ने कहाः

" भारत में व्यक्तियों को जबरन कब्जा करने की अनुमति नहीं है; उन्हें ऐसा कब्जा प्राप्त करना चाहिए जिसका वे अदालत के माध्यम से हकदार हैं।

11. के. के. वर्मा बनाम नारायणदास सी. मलकानी (ए. आई. आर. 1954 बम 358 पी. 360) चागला सी. जे. ने कहा कि भारत में कानून अनिवार्य रूप से इंग्लैंड में कानून से अलग था। उन्होंने कहाः

" भारतीय कानून के तहत एक किरायेदार का कब्जा जो किरायेदार नहीं रह गया है, कानून द्वारा संरक्षित है। हालाँकि उसे किरायेदारी की समाप्ति के बाद कब्जे में बने रहने का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन उसका अधिकार न्यायिक है और वह अधिकार क़ानून द्वारा संरक्षित है। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 के तहत एक किरायेदार जो किरायेदार नहीं रह गया है, अपने मकान मालिक के खिलाफ कब्जे के लिए मुकदमा कर सकता है, अगर मकान मालिक उसे कानून के अनुसार कब्जे से वंचित करता है, लेकिन एक अतिचारक जिसे कब्जे से बाहर कर दिया गया है, वह अदालत नहीं जा सकता है।

धारा 9 के तहत और असली मालिक के खिलाफ कब्जे का दावा करें।

12. यार मोहम्मद बनाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने लक्ष्मी दास (ए. आई. आर. 1959 ऑल 1 एट पी. 4) ने कहाः

" उस मामले में (विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 के तहत) वादी या प्रतिवादी के स्वामित्व का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है या उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। वादी किसी भी शीर्षक को साबित किए बिना सफल होने का हकदार होगा जिस पर वह वापस आ सकता है और प्रतिवादी सफल नहीं हो सकता है, भले ही वह सभी खिताबों में से सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने की स्थिति में हो। की बहाली हालाँकि, इस तरह के मुकदमे में कब्जा हमेशा एक नियमित स्वामित्व मुकदमे के अधीन होता है और जिस व्यक्ति के पास वास्तविक शीर्षक या इससे भी बेहतर शीर्षक है, इसलिए, इस तरह के मुकदमे में डिक्री द्वारा किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है। अपने खिताब को स्थापित करना उनके लिए हमेशा खुला रहेगा।

एक नियमित सूट और कब्जा वापस पाने के लिए।

उच्च न्यायालय ने आगे कहाः

“ कानून कब्जे का सम्मान करता है, भले ही इसका समर्थन करने के लिए कोई अधिकार न हो। यह किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं देगा और

रेविंदर कौर ग्रेवाल v का सहारा लिए बिना वास्तविक कब्जे में किसी व्यक्ति को बेदखल करना।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

एक अदालत में। किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपना कारण। जैसा कि एज सी. जे. द्वारा वली अहमद खान बनाम में देखा गया है।

अयोध्या कुंडू (1891) आई. एल. आर. 13 सभी। 537 पी पर। 556 :

" खंड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को चलाना था जो चाहते थे

किसी व्यक्ति को उचित न्यायालय में बाहर निकालना और उन्हें ऐसा करने से रोकना

ऊँचे हाथ से जाना और ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालना। ”

14. हिलावा सुब्बावा बनाम। नारायणप्पा, (1911) 13 बम। एलआर 1200

यह देखा गयाः

“ इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक उसे अपने पास रखने का हकदार है

अधिकार, भले ही उसने इसे एक अतिचारक से प्राप्त किया हो

बल या अन्य गैरकानूनी साधनः लिल्लू वी. अन्नाजी, (1881) आई. एल. आर. 5 बम। 387 और बंदू वी। नाबा, (1890) आई. एल. आर. 15 बम 238 "।

हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि यह निर्णय कैसे सहायता करता है

उत्तरदाता। यह विशिष्ट राहत की धारा 9 के तहत मुकदमा नहीं था।

एक्ट करें। (1881) आई. एल. आर. 5 बम 387 में, यह मान्यता दी गई थी कि "यदि वहाँ है

कब्जा करने के प्रयास में शांति का उल्लंघन, जो प्रदान करता है आपराधिक अभियोजन के लिए एक आधार, और यदि प्रयास सफल होता है,

धारा के तहत कब्जे की बहाली के लिए भी एक संक्षिप्त वाद के लिए

9 1877 के विशिष्ट राहत अधिनियम I-दादाभाई नरसीदास बनाम। द.

उप-कलेक्टर ऑफ ब्रोच, (1870) 7 बॉम। एच. सी. एसी 82 "। में (1890)

आई. एल. आर. 15 बॉम 238 का अवलोकन सार्जेंट सी. जे. ने इस प्रकार कियाः " हालाँकि, भारतीय विधानमंडल ने सारांश प्रदान किया है।

किसी को भी हटाने के लिए जो दूसरे को बेदखल करता है, चाहे वह शांतिपूर्ण हो

या अन्यथा कानून के उचित पाठ्यक्रम से; लेकिन इस तरह के अधीन

प्रावधान यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सही मालिक ऐसा करता है

दूसरे को बेदखल करना एक अतिचारक है, और इसके लिए निर्भर नहीं हो सकता है

उस में निहित शीर्षक पर उसके कब्जे का समर्थन, जैसा कि वह स्पष्ट रूप से
अंग्रेजी कानून द्वारा किया जा सकता है। यह भी दृश्य प्रतीत होता है
वेस्ट जे. द्वारा (1881) आई. एल. आर. 5 बॉम 387 में लिया गया।

15. हमारी राय में, इस मुद्दे पर कानून को सही ढंग से कहा गया है
प्रिवी काउंसिल द्वारा, चगला सी. जे. द्वारा, और पूर्ण पीठ द्वारा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऊपर उल्लिखित मामलों में। ”

(जोर दिया गया)

इस अदालत ने प्रिवी काउंसिल के फैसले को भी मंजूरी दे दी है।

11 यार मोहम्मद बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ। लक्ष्मी।
ए. आई. आर. 1959 ऑल। 1 .

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. सोमनाथ बर्मन बनाम। डॉ. एस. पी. राजू और अन्र. ए. आई. आर. 1970 एससी

846 , इस न्यायालय ने स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी है

एक घोषणा प्राप्त करने का अधिकार कि वह एक मुकदमे में भूमि का मालिक था और एक निषेधाज्ञा जो प्रतिवादी को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकती है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 9 किसी भी तरह से इस स्थिति से असंगत नहीं है कि गलत करने वाले के खिलाफ, वादी का पूर्व अधिकार, निष्कासन की कार्रवाई में पर्याप्त अधिकार है, भले ही मुकदमा बेदखल करने की शिकायत के छह महीने से अधिक समय बाद लाया गया हो और गलत करने वाला यह दर्शाकर मुकदमे का सफलतापूर्वक विरोध नहीं कर सकता है कि अधिकार और अधिकार किसी तीसरे पक्ष में निहित है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 10. नारायण रो बनाम। धर्माचर, (1903) आई. एल. आर. 26 मैड 514 ए

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ जिसमें भाष्यम अय्यंगार शामिल थे

और मूर, जे. जे. अभिनिर्धारित किया कि कब्जा भारतीय के अधीन है, जैसा कि नीचे दिया गया है

अंग्रेजी कानून, सभी के खिलाफ अच्छा खिताब लेकिन असली मालिक। धारा 9

विशिष्ट राहत अधिनियम की स्थिति किसी भी तरह से असंगत नहीं है कि एक गलत काम करने वाले के खिलाफ, वादी के पूर्व कब्जे में, एक

बेदखल करने की शिकायत के छह महीने से अधिक समय बाद और यह कि गलत करने वाला सफलतापूर्वक मुकदमे का विरोध नहीं कर सकता है

यह दर्शाता है कि अधिकार और अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति के पास है।

यही दृष्टिकोण बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कृष्णराव में लिया गया था।

यशवंत वी. वासुदेव अपाजी घोटिकर, (1884) आई. एल. आर. 8 बम 871।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण लिया गया था-देखें

उमराव सिंह बनाम। रामजी दास, आई. एल. आर. 36 ऑल 51, वली अहमद खान बनाम।

वी. बिहार प्रांत, ए. आई. आर. 1950 पैट 222 पटना उच्च न्यायालय मद्रास, बॉम्बे और इलाहाबाद द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन किया

उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत दृष्टिकोण

डेबी चर्न बोल्डो बनाम। इशूर चंदर मंजी, (1883) आई. एल. आर. 9 कैल 39 ; एर्टाजा हुसैन बनाम। बैनी मिस्त्री, (1883) आई. एल. आर. 9 कैल 130,

पुरमेशुर चौधरी बनाम। ब्रिजो लाल चौधरी, (1890) आई. एल. आर. 17 कैल 256 और निसा चंद गैता बनाम। कांचीराम बगानी (1899) आई. एल. आर. 26

कैल 579, हमारी राय में कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति हकदार है।

अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वामित्व शीर्षक का एक मुकदमा लाने के लिए, भले ही शीर्षक किसी तीसरे व्यक्ति में निहित हो। स्वामित्व शीर्षक वाला व्यक्ति रेविंदर कौर ग्रेवाल v प्राप्त कर सकता है।

निषेधाज्ञा भी, प्रतिवादी को उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकना।

14. उपरोक्त को देखते हुए, विचार करने के लिए एक प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति कब

कोई उपाधि नहीं होने पर, केवल स्वामित्व वाले शीर्षक के बल पर एक निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं और एक अतिचारक को बाहर निकालने के लिए एक मुकदमा बनाए रख सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपूर्ण किया है, वह कब्जे की रक्षा करने और कब्जे की वसूली के लिए एक निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मुकदमा क्यों दायर नहीं कर सकता है, यदि उसका बेदखल किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी मालिक द्वारा उसके अधिकार को समाप्त करने के बाद किया जाता है। यदि प्रतिकूल अधिकार वाले व्यक्ति ने प्रतिकूल अधिकार द्वारा अपने अधिकार को पूर्ण किया है और वास्तविक मालिक के अधिकार को समाप्त करने के बाद, उसे एक सच्चे मालिक द्वारा सफलतापूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि मालिक ने अपना अधिकार, अधिकार और ब्याज खो दिया है।

15. पद्मिनीबाई बनाम। तांगव्वा और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1142

वादी द्वारा अधिकार की वसूली के लिए मुकदमा इस आधार पर दायर किया गया था कि उसका पति 12 साल से अधिक की अवधि के लिए प्रतिवादी के प्रतिकूल मुकदमे की भूमि के अनन्य और खुले कब्जे में था और उसका कब्जा कभी बाधित या परेशान नहीं किया गया था। यह माना गया था कि उन्होंने पर्चे द्वारा स्वामित्व हासिल किया था। उनकी मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर दायर किया गया मुकदमा सीमित था। इस प्रकार, वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जा वसूल करने का अधिकार दिया गया था क्योंकि तात्या ने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व हासिल कर लिया था। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 1. 2 फरवरी, 1955 को तात्या की मृत्यु हो गई। उत्तरदाताओं, तंगावा

और सुंदर बाई तात्या की सह विधवाएँ हैं। वे सह थे

मूल वाद में वादी।

11. इसलिए, हमें सहमति में बने रहने में कोई संकोच नहीं है

जिसके नीचे की अदालतों में तात्या ने रहते हुए खिताब हासिल किया था

मुक़दमे का अनन्य और खुला कब्ज़ा प्रतिकूल रूप से

पद्मिनी बाई 12 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, और यह

कब्जा कभी बाधित या परेशान नहीं किया गया था। उन्होंने इस प्रकार

प्रिस्क्रिप्शन द्वारा स्वामित्व अर्जित किया "।

(जोर दिया गया)

16. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। डलहौजी संस्थान सोसायटी,

ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1778 में, इस न्यायालय ने अवैध अनुदान के आधार पर डलहौजी संस्थान सोसायटी के प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न पर विचार किया। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्वामित्व अमान्य अनुदान के आधार पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा अर्जित किया गया था और दावेदार/आवेदक को [2019] 11 एस. सी. आर. का दावा करने का अधिकार दिया गया था।

इंसेशन। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति प्रतिकूल रूप से उपाधि प्राप्त करता है

सत्र और अवलोकन कियाः

संस्थान के पक्ष में स्थल का अनुदान दिया गया है। द. विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य और

उच्च न्यायालय यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि प्रतिवादी ने

खुले, निरंतर और निर्बाध अधिकार और आनंद में

60 से अधिक वर्षों के लिए साइट। इस संबंध में, सामग्री

उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से संदर्भित दस्तावेजी साक्ष्य

यह स्थापित करता है कि प्रत्यर्थी को मालिक के रूप में माना गया है न केवल निगम द्वारा बल्कि सरकार द्वारा भी। द.

प्रत्यर्थी का अधिकार इस आधार पर होना चाहिए कि

सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, जो निस्संदेह कानून में अमान्य है।

इस तरह के कब्जे का वास्तव में क्या कानूनी प्रभाव पड़ा है

बॉम्बे के कलेक्टर बनाम में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। नगरपालिका बॉम्बे शहर निगम, [1952] एस. सी. आर. 43 निम्नानुसार हैः

" ..... प्रत्यर्थी निगम की स्थिति और उसकी

शीर्षक में पूर्ववर्ती एक ऐसे व्यक्ति का था जिसके पास कोई कानूनी शीर्षक नहीं था लेकिन फिर भी रंग के तहत भूमि का कब्जा रखना

स्थायी रूप से और किराए से मुक्त भूमि का अमान्य अनुदान

बाजार का उद्देश्य। इस तरह के कब्जे को संदर्भित नहीं किया जा रहा है किसी भी कानूनी शीर्षक के लिए यह प्रथम दृष्टया कानूनी शीर्षक के प्रतिकूल था

उसी क्षण से भूमि के मालिक के रूप में सरकार

प्रतिवादी निगम के शीर्षक में पूर्ववर्ती ने लिया

अवैध अनुदान के तहत भूमि का कब्जा। यह अधिकार

खुले तौर पर जारी है, सही के रूप में और निर्बाध रूप से

70 वर्ष और प्रत्यर्थी निगम ने अधिग्रहण किया है

इसके लिए सीमित शीर्षक और शीर्षक में इसके पूर्ववर्ती निर्धारित कर रहे थे

इस पूरी अवधि के दौरान, यानी, भूमि पर कब्जा करने का अधिकार

स्थायी रूप से किराए से मुक्त लेकिन केवल एक के उद्देश्यों के लिए 1865 के सरकारी संकल्प के संदर्भ में बाजार।

17. उपरोक्त उद्धरण यह स्थापित करता है कि इस तरह के कब्जे में एक व्यक्ति

स्पष्ट रूप से प्रतिकूल कब्जे से खिताब प्राप्त करता है। इससे पहले के मामले में

हम, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष हैं और

प्रत्यर्थी के पक्ष में विशेष भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश

यह बिंदु और हम उन निष्कर्षों से सहमत हैं।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि उपाधि प्रतिकूल कब्जे से प्राप्त की जाती है।

17. मोहम्मद फ़तेह नसीब बनाम। स्वरूप चंद हुकुम चंद और अन्र। ए. आई. आर. 1948 पी. सी. 76, प्रिवी काउंसिल ने एक वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के सवाल पर विचार किया। शिकायत में, उनका मामला निरंतर, खुले, अनन्य और निर्बाध अधिकार पर आधारित था। उन्होंने कहा कि उनके पास

पूरी दुनिया के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे द्वारा मुकदमा संपत्ति के लिए एक अक्षम्य शीर्षक प्राप्त किया। 1928 में, उन्हें सूट संपत्ति से गुप्त रूप से बेदखल कर दिया गया था। यह प्रश्न विचार के लिए उठा कि क्या वादी 12 वर्षों तक प्रतिकूल कब्जे में रहा और क्या यह वक्फ के लिए प्रतिकूल था। प्रिवी काउंसिल ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की कि "वादी" और उसके पूर्ववर्तियों ने अधिनियम की धारा 28 के तहत अधिकार प्राप्त करने के लिए 1928 से पहले 12 साल से अधिक समय तक वाद संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और वादी केवल अतिक्रमणकारी नहीं था। अदालत ने आगे कहा कि वक्फ संपत्ति के खिलाफ भी प्रतिकूल कब्जे का अधिकार स्थापित किया जा सकता है। प्रिवी काउंसिल ने कहाः

" उस आधार पर निर्धारित किया जाने वाला पहला सवाल यह है कि क्या वादी निरंतर, खुला अनन्य और निर्बाध साबित हुआ है।

1928 से पहले 12 साल और उससे अधिक के लिए वाद में संपत्ति का कब्जा, जब उसे बेदखल कर दिया गया था, वह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142 के तहत प्रासंगिक तिथि थी। यदि उस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है तो आगे सवाल उठता है कि क्या ऐसा है?

कब्जा वक्फ के लिए प्रतिकूल था।

उनके अधिपति इस बात से सहमत हैं कि आवेदन करने के लिए यह सही परीक्षा है और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद, वे उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि वादी और उसका सीमा अधिनियम की धारा 28 के तहत एक अधिकार प्राप्त करने के लिए 1928 से पहले 12 साल से अधिक समय से वाद संपत्ति के कब्जे में पूर्ववर्ती-ब्याज थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के लिए मात्र अतिचारक का दावा सख्ती से उस संपत्ति तक ही सीमित होगा जिसके वह वास्तविक कब्जे में रहा है। लेकिन इस सिद्धांत का वर्तमान मामले में कोई उपयोग नहीं है। वादी केवल अतिक्रमणकारी नहीं है; उसने स्वयं एक बड़ी राशि के लिए संपत्ति खरीदी और अबेरजान, जिसके कब्जे पर अंततः दावा किया जाता है, को अदालत के एक आदेश द्वारा कब्जे में ले लिया गया, चाहे ऐसा आदेश सही तरीके से दिया गया था या नहीं। इसके अलावा, उनके लॉर्डशिप्स [2019] 11 एस. सी. आर.

सोचिए कि द्वारा स्थापित अधिकार का चरित्र

वादी एक अतिचारक में भी अधिकार पाने के लिए पर्याप्त था।

उनके अधिपतियों को उच्च न्यायालय से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है

वादी और उसके पूर्ववर्तियों द्वारा उस प्रतिकूल कब्जे में

एकमात्र सवाल जो तब बचा रहता है वह यह है कि क्या ऐसा अधिकार है। वक्फ के लिए प्रतिकूल था। यह विवादित नहीं है कि कानून में एक शीर्षक द्वारा

वक्फ संपत्ति पर प्रतिकूल अधिकार स्थापित किया जा सकता है, लेकिन

यह स्पष्ट है कि एक दान के लिए एक ट्रस्टी के कब्जे में प्रवेश कर रहा है

चैरिटी से संबंधित संपत्ति, ट्रस्टी रहते हुए, नहीं हो सकती है।

अपने अधिकार के चरित्र को बदलें, और दावा करें कि वह

एक लाभकारी मालिक के रूप में अधिकार "।

(जोर दिया गया)

वादी का अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषित किया गया था।

18. फिर से प्रतिकूल कब्जे से खिताब को परिपूर्ण करने का सवाल

गंगा गोविंद मुंडुल में प्रिवी काउंसिल द्वारा विचार किया जाना

एस. वी. चौबीस परगुन्ना और अन्य के कलेक्टर। 11

ए. 212, यह देखा गया कि कानून द्वारा अधिकार का उन्मूलन किया गया है।

इटेशन। व्यावहारिक प्रभाव मालिक के शीर्षक का विलुप्त होना है।

हमारे कब्जे वाले पक्ष का अधिकार और यह अधिकार एक पूर्ण हित है।

प्रिवी काउंसिल ने इस प्रकार कहा हैः

“ 4. भूमि के बेदखल करने के लिए मुकदमा करने का अधिकार इस प्रकार है - एक मामला, उस मालिक के लिए जिसकी संपत्ति का अतिक्रमण किया गया है; और यदि

वह सीमा के कानून द्वारा वर्जित होने के अपने अधिकार का सामना करता है,

व्यावहारिक प्रभाव पार्टी के पक्ष में उनकी उपाधि का विलुप्त होना है। अधिकार; सेल देखें। प्रतिनिधि। , वॉल्यूम। vi. , पी। 139 , मैकफर्सन में उद्धृत,

सिविल प्रक्रिया, पी। 81 (3 आरडी एड.)। अब इस मामले में, परिवार

अपीलार्थियों द्वारा प्रतिनिधित्व ऊपर की ओर साबित होता है

कब्जे में तीस साल। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि

राजकुमार की उपाधि वर्जित है, और उस बार का प्रभाव इसमें काम करना चाहिए कब्जे में पार्टी का पक्ष।

मान लीजिए कि, किसी व्यक्ति की उपाधि के विलुप्त होने पर

सीमित ब्याज, प्रवेश करने का अधिकार एक के पक्ष में उत्पन्न हो सकता है शेष व्यक्ति या एक प्रत्यावर्तक, वर्तमान मामले में कोई नहीं है

उससे मिलता-जुलता "। रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

8. भारत में यह सबसे बड़ा परिणाम है कि सुरक्षा

लंबे समय तक कब्जा करने के प्रयासों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। विवाद हैं -

सीमाओं और भूमि की पहचान के बारे में लगातार उठ रहा है,

निकटवर्ती मालिक एक-दूसरे से शुल्क लेने के लिए उपयुक्त होते हैं।

अतिक्रमण। अगर बारह साल शांतिपूर्ण और निर्बाध रहे

भूमि का कब्जा, कथित रूप से अतिक्रमण द्वारा आनंद लिया गया

आसपास की भूमि पर, साबित किया जा सकता है, एक खरीदार ले सकता है कि

सुरक्षा में शीर्षक; लेकिन, यदि कब्जे से बाहर पार्टी एक स्थापित कर सकती है

साठ साल की सीमा का कानून, केवल सामान्य कारण बनाकर

एक कलेक्टर के साथ, जो रुकावट के खिलाफ सुरक्षा का आनंद ले सकता है?

इस तरह के षड्यंत्र का सही जवाब है;

सरकार अपने किराए पर है; दूसरों के स्वामित्व वाली भूमि; जैसा कि बीच में है। आपस में प्रतिस्पर्धा करने वाले निजी मालिक भूमि का स्वामित्व, कानून देखें

बारह वर्षों की सीमा स्थापित की है; उस समय के बाद, यह

न केवल यह घोषित करता है कि उपचार वर्जित है, बल्कि यह कि

स्वामित्वकर्ता के पक्ष में शीर्षक विलुप्त हो गया है। सरकार के पास नहीं है

इस तरह की प्रतियोगिताओं में हस्तक्षेप करने के लिए शीर्षक, प्रकृति में इसके किराए के लिए इसका शीर्षक

जम्मा का हस्तांतरण केवल स्वामित्व अधिकार के हस्तांतरण से अप्रभावित है

जमीनों को। जुम्मा की भूमि का दायित्व प्रभावित नहीं होता है स्वामित्व अधिकार का हस्तांतरण, क्या ऐसा हस्तांतरण प्रभावित होता है

केवल शीर्षक के हस्तांतरण द्वारा, या प्रतिकूल व्यवसाय द्वारा कम प्रत्यक्ष रूप से और सीमा का कानून "।

(जोर दिया गया)

19. एस. एम. करीम बनाम एमएस. बीबी सकीना, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1254

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 66 के तहत प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रावधान है कि प्रमाणित व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

खरीदार। यह प्रश्न इस बात पर विचार करने के लिए उत्पन्न हुआ कि यदि कब्जा परेशान है तो क्या कोई वादी वैकल्पिक याचिका ले सकता है कि अदालत की नीलामी में बेनामी खरीदने वाले व्यक्ति का अधिकार वास्तविक मालिक के लंबे और निर्बाध प्रतिकूल कब्जे से समाप्त हो गया था। यदि वास्तविक मालिक का कब्जा अधिनियम के तहत स्वामित्व में बदल जाता है और उसे बेदखल कर दिया जाता है, तो वह कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकता है। इस न्यायालय ने कहा है कि

ऐसे मामले में वादी के लिए इस तरह की याचिका लेना खुला होगा, लेकिन पूरे विवरण के साथ ताकि सीमा का प्रारंभिक बिंदु पाया जा सके। राहत खंड में केवल एक सुझाव है कि एक निर्बाध था

कई 12 वर्षों के लिए कब्जा या कि वादी ने एक अर्जित किया था इस तरह की याचिका उठाने के लिए पूर्ण शीर्षक पर्याप्त नहीं था। लंबे समय तक कब्जा करना आवश्यक रूप से एक प्रतिकूल अधिकार नहीं था और प्रार्थना खंड [2019] 11 एस. सी. आर. नहीं है।

प्रतिकूल अधिकार के अनुरोध के लिए। व्यक्त राय यह है किवादी प्रतिकूल अधिकार की याचिका ले सकता है लेकिन पूरे विवरण के साथ। न्यायालय ने टिप्पणी की है:

वास्तविक मालिक का कब्जा सीमा अधिनियम के तहत स्वामित्व में बदल जाता है और उसे बेदखल कर दिया जाता है, वह कब्जा प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकता है, क्योंकि वह तब लेनदेन की बेनामी प्रकृति पर भरोसा नहीं करता है। लेकिन वैकल्पिक दावा स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। द हाई अदालत ने माना कि मुकदमे में प्रतिकूल कब्जे की याचिका नहीं उठाई गई थी और नीचे दी गई दोनों अदालतों के फैसले को उलट दिया। प्रतिकूल कब्जे की दलील यहाँ उठाई गई है। रिलायंस को सुख दास बनाम पर हमारे सामने रखा गया है। कृष्णानंद, आई. एल. आर. 32 पैट 353 और श्री भगवान सिंह बनाम। राम बसी कुर, ए. आई. आर. 1957 पैट 157, ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस तरह की याचिका आवश्यक नहीं है और वैकल्पिक रूप से, कि यदि याचिका की आवश्यकता है, तो क्या एक उचित याचिका माना जा सकता है। लेकिन ये दोनों मामले शायद ही अपीलार्थी की मदद कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत में यह तथ्य सामने आया है कि सैयद औलाद अली द्वारा खरीदे जाने के बाद, अपने दामाद हकीर आलम के नाम पर बेनामी, सैयद औलाद अली के कब्जे में बना रहा।

लेकिन यह नहीं कहता है कि यह कब्जा किसी भी समय प्रमाणित खरीदार के खिलाफ था। हाकिम आलम थे। सैयद औलाद अली के दामाद और उनके साथ रह रहे थे। ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि सैयद औलाद अली ने कभी भी उनके खिलाफ किसी शत्रुतापूर्ण शीर्षक का दावा किया हो या स्वामित्व और स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद हो।

कब्ज़ा कभी पैदा हुआ था। प्रतिकूल कब्जा निरंतरता, प्रचार और विस्तार में पर्याप्त होना चाहिए और कम से कम यह दिखाने के लिए एक याचिका की आवश्यकता होती है कि कब कब्जा प्रतिकूल हो जाता है ताकि प्रभावित पक्ष के खिलाफ सीमा का प्रारंभिक बिंदु पाया जा सके। यहाँ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कब कब्ज़ा प्रतिकूल हो गया था, और राहत खंड में केवल यह सुझाव कि "कई 12 वर्षों" के लिए एक निर्बाध कब्ज़ा था या वादी ने "एक पूर्ण अधिकार" हासिल कर लिया था, इस तरह की याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लंबे समय तक कब्ज़ा रखना आवश्यक रूप से प्रतिकूल कब्ज़ा नहीं है और प्रार्थना खंड याचिका का विकल्प नहीं है। उद्धृत मामले

इस पर शायद ही विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक मामले का निर्धारण उस मामले में वाद में लगाए गए आरोपों पर किया जाना चाहिए।

यह रेविंदर कौर ग्रेवाल v के लिए पर्याप्त है। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

बिशन दयाल बनाम में यह इंगित करें। केशो प्रसाद, आकाशवाणी 1940 पीसी 202 न्यायिक समिति ने एक वैकल्पिक मामले को स्वीकार नहीं किया

बिना किसी उचित अनुरोध के खरीद के बाद कब्जे पर।

(जोर दिया गया)

20. प्रतिकूल अधिकार द्वारा अधिकार का अधिग्रहण इस प्रकार है,

वादी के रूप में ऐसा व्यक्ति हमेशा उस स्थिति में याचिका का उपयोग कर सकता है जब उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जिसमें बेदखल करने का मामला भी शामिल है। मंडल राजस्व अधिकारी बनाम। गौंडला वेंकैया और अन्र। , (2010) 2 एस. सी. सी. 461 इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम में निर्णय का उल्लेख किया है। हरफूल सिंह (2000) 5 एस. सी. सी. 652 जिसमें मुकदमा दायर किया गया था

वादी प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार के अधिग्रहण के आधार पर। इस न्यायालय ने अन्नाकिली बनाम में अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया है। ए. वेदानायगम (2007) 14 एस. सी. सी. 308 और पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम। रेवम्मा (2007) 6 एससीसी 59। यह देखा गया है कि शीर्षक का अधिग्रहण हो सकता है

प्रतिकूल कब्जे से। यह भी देखा गया है कि प्रतिकूल कब्जा प्रभावी रूप से कागज के मालिक से पहले से ही दूर किए गए शीर्षक को प्रतिकूल मालिक में बदल देता है। सही इस प्रकार प्रतिकूल धारक के पक्ष में अर्जित होता है। इस न्यायालय ने इस मामले पर इस प्रकार विचार किया है:

" 48. राजस्थान राज्य में v. हरफूल सिंह, 2000 (5) एस. सी. सी. 652,

इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या उत्तरदाताओं के पास था

पर स्थित वाद भूमि पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिग्रहित अधिकार

राजस्थान राज्य के भीतर नोहर में नोहर-भद्रा रोड। द.

प्रत्यर्थी द्वारा उसके धमकी भरे विस्थापन के खिलाफ दायर मुकदमा

ट्रायल कोर्ट द्वारा इस निष्कर्ष के साथ फैसला सुनाया गया था कि उसने हासिल किया था

राज्य सरकार द्वारा निचली अपील द्वारा खारिज कर दिया गया था क्रमशः न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस अदालत ने पलट दिया

निम्न न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के भी निर्णय और फरमान

न्यायालय और अभिनिर्धारित किया कि वादी-प्रतिवादी पुष्टि नहीं कर सका

प्रतिकूल रूप से स्वामित्व के अधिग्रहण के मुद्दे पर की गई टिप्पणियाँ इस मामले से संबंधित अधिकार नीचे दिए गए हैं:

(एस. सी. सी पी. 660, पैरा 12)

" 12. जहाँ तक प्रतिकूल द्वारा शीर्षक की पूर्णता का सवाल है

अधिकार और वह भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में है

संबंधित, प्रश्न पर अधिक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और प्रभावी रूप से इस कारण से कि यह अंततः शामिल है

और किसी तीसरे पक्ष को अतिक्रमणकारी की उपाधि प्रदान करना जहाँ उसके पास कोई नहीं था। पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम में निर्णय। एल. लक्ष्मी रेड्डी, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 314, ने सामान्य शास्त्रीय आवश्यकता-कि यह एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. क्लैम, एन. ई. सी. प्रिकारियो होनी चाहिए-के लिए आवश्यक कब्जा निरंतरता, प्रचार में और यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि यह कब्जा प्रतिद्वंद्वी के लिए प्रतिकूल है। इसमें यह भी देखा गया था कि प्रतिकूल कब्जे से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति की जो भी दुश्मनी या इरादा हो, उसका प्रतिकूल कब्जा तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि वह आवश्यक दुश्मनी के साथ वास्तविक कब्जा प्राप्त नहीं कर लेता।

50. समापन से पहले, हम हाल के दो निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण के प्रश्न पर कानून पर विचार किया गया है और दोहराया गया है। अन्नाकिली बनाम। ए. वेदानायगम, 2007 (14) एस. सी. सी. 308 में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 316, पैरा 24)

" 24. प्रतिकूल कब्जा द्वारा दावे के दो तत्व हैंः (1) प्रतिवादी का कब्जा वादी के लिए प्रतिकूल होना चाहिए; और (2) प्रतिवादी को उसके बाद 12 साल की अवधि तक कब्जे में रहना चाहिए। एनिमस पॉसिडेन्डी, जैसा कि सर्वविदित है, प्रतिकूल कब्जे का एक आवश्यक घटक है। अब यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि केवल भूमि पर कब्जा करने से स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलेगा।

लेकिन अधिकार के प्रारंभ में इसका अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए। उसे सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के लिए उक्त क्षमता में बने रहना चाहिए। बस लंबा। कब्ज़ा, यह ट्राइट है, बिना 12 साल से अधिक की अवधि के लिए

इससे अधिक कुछ भी शीर्षक में परिपक्व नहीं होता है।

51. पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम। रेवम्मा, 2007 (6) एस. सी. सी. 59, न्यायालय ने प्रतिकूल कानून के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया।

अधिकार प्राप्त करना और निम्नलिखित सहित विभिन्न प्रस्ताव निर्धारित करनाः (एससीसी पीपी। 66 & 68 , पैरा 5 और 8) XXX

8. ..... प्रतिकूल कब्जे के दावे का आकलन करने के लिए, दो-आयामी जांच इसकी आवश्यकता हैः

रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

1. सीमा प्रावधान का अनुप्रयोग जिससे न्यायशास्त्रीय रूप से "जानबूझकर"

कागज-मालिक। 2. प्रतिकूल की ओर से बेदखल करने का विशिष्ट सकारात्मक इरादा

मालिक प्रभावी रूप से पहले से ही दूर शीर्षक को स्थानांतरित कर देता है

कागज-मालिक, प्रतिकूल धारक के लिए। ठीक इस प्रकार अर्जित होता है बेदखल करने के इरादे के रूप में प्रतिकूल मालिक का पक्ष एक अभिव्यक्ति है

संपत्ति के रखरखाव में तात्कालिकता और इरादे का विवरण।

(मूल में जोर) "

(जोर दिया गया)

21. पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम। रेवम्मा (2007) 6 एस. सी. सी.

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया हैः

2. प्रतिवादी-उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में इनकार किया

और वादी के उपरोक्त दावे पर विवाद किया और

अपने अधिकार, अधिकार और हित के साथ-साथ अधिकार का भी अनुरोध किया या

उक्त 1 एकड़ 21 गुंटा भूमि पर। विद्वान विचारण न्यायाधीश

अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वादी

कुछ समय से विचाराधीन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं 50 वर्ष से अधिक। एक अपील को प्राथमिकता दी गई है

उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा इसके विरुद्ध, उक्त

निचली अदालत के फैसले को उलट दिया गया थाः

" ((i)। प्रतिकूल कब्जे के महत्वपूर्ण कथन हैं -

दोगुना। एक व्यक्ति के खिलाफ व्यक्ति की उपाधि को पहचानना है।

जिन पर प्रतिकूल अधिकार का दावा किया जाता है। दूसरा है आनंद लेना।

स्वामित्व-धारक के हित के प्रतिकूल संपत्ति

ब्याज। ये दोनों कथन मूल रूप से इसमें अनुपस्थित हैं। अभिवचनों के साथ-साथ साक्ष्य दोनों में मामला।

((ख) न्यायालय का यह निष्कर्ष कि

1934 के बीच वादी प्रतिवादियों के प्रति प्रतिकूल हो गए

36 रिकॉर्ड के चेहरे पर फिर से एक स्पष्ट त्रुटि है। के रूप में

अपीलार्थी जो दूसरे के संबंध में वादी का दावा करते हैं प्रतिवादियों की भूमि बाद की बिक्री पर आधारित है।

दिनांकित विलेख 5-7-1936।

यह तय किया गया कानून है कि केवल अधिकार, भले ही यह किसी भी संख्या में वर्षों के लिए सही हो, प्रतिकूल अधिकार द्वारा उपाधि के साथ आनंद लेने वाले व्यक्ति को नहीं पहनेगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

प्रतिकूल कब्जे के महत्वपूर्ण अवयवों में होना चाहिए

संतुष्ट हो गया। "

6. अधिकांश क्षेत्राधिकारों में प्रतिकूल अधिकार कानून की प्रभावशीलता मजबूत सीमा कानूनों पर निर्भर करती है जिनके संचालन से अदालत तक पहुंचने का अधिकार समय के प्रवाह के माध्यम से समाप्त हो जाता है। जहां तक कागज के मालिक के अधिकारों का सवाल है, प्रतिकूल कब्जे के संदर्भ में, प्रतिकूल मालिक के पक्ष में प्रतिस्पर्धी अधिकारों का एक समूह विकसित होता है जो

लंबे समय तक भूमि की देखभाल की है, इसे विकसित किया है, संपत्ति के मालिक के खिलाफ जिसने संपत्ति की उपेक्षा की है। सीमा के आधुनिक कानून, एक नियम के रूप में, न केवल एक निश्चित समय के लिए दूसरे के प्रतिकूल कब्जे में रही संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई करने के किसी के अधिकार को काटने के लिए काम करते हैं, बल्कि मालिक को अधिकार देने के लिए भी काम करते हैं। इस तरह के कानूनों का उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना नहीं है जो अधिकारों का दावा करने की उपेक्षा करते हैं, बल्कि उन लोगों की रक्षा करना है जिन्होंने अधिकार बनाए रखे हैं।

अधिकार या स्वामित्व के रंग के दावे के तहत क़ानून द्वारा निर्दिष्ट समय के लिए संपत्ति का कब्जा। (अमेरिकी न्यायशास्त्र देखें,

खण्ड. 3 , 2 डी, पी। 81.) विशेष रूप से पृष्ठभूमि में, प्रतिकूल कब्जे की अमेरिकी धारणा का अध्ययन करते समय ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सीमा कानून, कि बेदखल करने के इरादे को पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है। सीमाक सरल अनुप्रयोग नहि होयत।

एक प्रतिकूल कब्जे के दावे की सफलता के लिए अपने आप में पर्याप्त होगा।

8. इसलिए, प्रतिकूल कब्जे के दावे का आकलन करने के लिए, दो-आयामी

जाँच की आवश्यकता हैः

1. सीमा प्रावधान का अनुप्रयोग जिससे स्थापित मालिक की ओर से न्यायिक रूप से "जानबूझकर उपेक्षा" तत्व स्थापित किया जाता है। इस संबंध में सफल अनुप्रयोग शीर्षक को दूर करता है

प्रतिकूल धारक प्रभावी रूप से पहले से ही शीर्षक को स्थानांतरित कर देता है कागज-मालिक से दूर, प्रतिकूल तक

मालिक। सही इस प्रकार प्रतिकूल के पक्ष में अर्जित होता है

बेदखल करने के इरादे के रूप में मालिक एक अभिव्यक्ति है रखरखाव में तात्कालिकता और इरादे का बयान

संपत्ति।

रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

0. कर्नाटक वक्फ बोर्ड में कानून इस प्रकार कहा गया थाः (एस. सी. सी पी.

5 , पैरा 11)

" 11. कानून की नजर में, एक मालिक को किसी संपत्ति के कब्जे में माना जाएगा जब तक कि कोई घुसपैठ नहीं है। मालिक द्वारा लंबे समय तक संपत्ति का उपयोग न करने से उसके स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिति तब बदल जाएगी जब कोई अन्य व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा कर लेगा और अधिकार का दावा करेगा।

असली मालिक। यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि एक पार्टी प्रतिकूल अधिकार का दावा करने से यह साबित होना चाहिए कि उसका

कब्ज़ा 'एन. ई. सी. वी. आई., एन. ई. सी. क्लैम, एन. ई. सी. प्रिकारियो' है, जो शांतिपूर्ण, खुला और निरंतर है। कब्जा निरंतरता में, प्रचार में और यह दिखाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि उनका कब्जा वास्तविक मालिक के लिए प्रतिकूल है। यह सही मालिक के गलत स्वभाव के साथ शुरू होना चाहिए और वास्तविक, दृश्य, अनन्य, शत्रुतापूर्ण होना चाहिए और वैधानिक अवधि में जारी रहना चाहिए। (एस. एम. करीम बनाम देखें। बीबी सकीना, पारसीनी बनाम। सुखी और डी. एन. वेंकटरायप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य।) अनन्य स्वामित्व का भौतिक तथ्य और वास्तविक मालिक को छोड़कर मालिक के रूप में रखने की शत्रुतापूर्ण संभावना सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें इस प्रकृति के मामलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रतिकूल अधिकार की याचिका विशुद्ध रूप से कानून का सवाल नहीं है, बल्कि एक मिश्रित सवाल है

तथ्य और कानून। इसलिए, एक व्यक्ति जो प्रतिकूल दावा करता है

कब्ज़ा दिखाना चाहिएः ((क) वह किस तारीख को आया था? अधिकार, (ख) उसके अधिकार की प्रकृति क्या थी, (ग) क्या दूसरे पक्ष को अधिकार के तथ्य के बारे में पता था, (घ) उसका अधिकार कितने समय से जारी है, और (ङ) उसका अधिकार खुला और निर्बाध था। प्रतिकूल कब्जे का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के पक्ष में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। चूँकि वह असली मालिक के अधिकारों को पराजित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यह उसके लिए है कि वह स्पष्ट रूप से अनुरोध करे और अपने प्रतिकूल कब्जे को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को स्थापित करे।

2. हरियाणा राज्य में बनाम। मुकेश कुमार और अन्य। , (2011) 10 4 , अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या वादी ने संदर्भ में प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से विवादित संपत्ति के मालिक को रेवम्मा (उपरोक्त) और थर्म वी में निर्णयों पर विचार किया था। सेंट मेरिलबोन प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड (1962) 2 एईआर 2881 टेलर वी। ट्विनबरो 1930 ऑल ई. आर. रेप 342 (डी. सी.) और प्रेक्षित erse कब्ज़ा नकारात्मक और परिणामी अधिकार प्रभावित [2019] 11 एस. सी. आर.

केवल इसलिए कि अदालत तक पहुँचने का किसी और का सकारात्मक अधिकार कानून के संचालन द्वारा वर्जित है। कागज के मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है और यह कि प्रतिस्पर्धी अधिकार प्रतिकूल मालिक के पक्ष में विकसित होते हैं क्योंकि उसने भूमि की देखभाल की, इसे उस संपत्ति के मालिक के खिलाफ विकसित किया जिसने संपत्ति की उपेक्षा की थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 32. इस न्यायालय ने रेवम्मा (2007) 6 एस. सी. सी. 59 में कहा कि

प्रतिकूल कब्जे की वास्तविक प्रकृति को समझें, फेयरवेदर बनाम। सेंट मेरिलबोन प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड (1962) 2 सभी ई. आर. 288 (एच. एल.) कर सकते हैं

विचार किया जाए जहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने टेलर बनाम का उल्लेख किया है।

नकारात्मक और परिणामी अधिकार केवल इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि कोई अदालत तक पहुँचने का दूसरा सकारात्मक अधिकार संचालन द्वारा वर्जित है

कानून। कागज के मालिक के अधिकारों के विरुद्ध, के संदर्भ में

प्रतिकूल कब्जा, वहाँ में प्रतिस्पर्धी अधिकारों का एक समूह विकसित होता है

प्रतिकूल धारक का पक्ष, जिसके पास लंबे समय तक

समय, भूमि की देखभाल की, इसे विकसित किया, मालिक के खिलाफ

संपत्ति जिसने संपत्ति की उपेक्षा की है।

(जोर दिया गया)

23. एल. आर. द्वारा कृष्णमूर्ति एस. सेटलूर (मृत) में। वी. ओ. वी. नरसिंह

सेट्टी और ओआरएस। , (2007) 3 एस. सी. सी. 569, न्यायालय ने इंगित किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार का दावा करते समय वादी का कर्तव्य। वादी द्वारा 11.12.1981 पर मुकदमा दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद भूमि में अधिकार को पूर्ण किया है, और वाद का फैसला सुनाया। इस न्यायालय ने कहा है कि वादी को उस तारीख को याचिका दायर करनी चाहिए और साबित करना चाहिए जिस तारीख से वह आने का दावा करता है।

अनन्य, निरंतर और निर्बाध अधिकार। यह प्रश्न विचार के लिए उठा कि क्या किरायेदार के कब्जे को अधिनियम के प्रावधानों के तहत 12 साल की अवधि की गणना के लिए मालिक के कब्जे के रूप में माना जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिकूल अधिकार की याचिका का गठन करने के लिए वाद में आवश्यक अभिवचन की प्रकृति पर जोर दिया गया है और एक अन्य प्रश्न भी उठा है कि क्या वादी प्रतिवादियों से अधिकार वापस पाने का हकदार था? इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 12. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 समाप्त करने के लिए काम करती है।

एक व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार जो इसके कब्जे के लिए मुकदमा नहीं करता है

कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर। बुझाया गया अधिकार ही अधिकार है।

जिसे वैध स्वामी के पास है और जिसके खिलाफ प्रतिकूल रेविंदर कौर ग्रेवाल V के लिए दावा है।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

कब्जा किया जाता है, इसलिए, जो वादी प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है, उसे उस तारीख का अनुरोध करना और साबित करना होता है और जिस तारीख से वह अनन्य, निरंतर और निर्बाध कब्जे में होने का दावा करता है। यह सवाल कि कब्जा प्रतिकूल है या नहीं, अक्सर सरल तथ्यों में से एक होता है, लेकिन यह कानून का निष्कर्ष या कानून और तथ्य का मिश्रित सवाल भी हो सकता है। तथ्यों को पाया जाना चाहिए

स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनसे लिया गया निष्कर्ष, अर्थात् निष्कासन या प्रतिकूल कब्जा कानून का सवाल है और अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

इस मामले में निर्धारण के लिए जो मुख्य प्रश्न उठते हैं, उनमें से एक यह है कि क्या बारह वर्ष की अवधि की गणना में किरायेदार के कब्जे को मालिक के कब्जे के रूप में माना जा सकता है। सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64 के तहत वर्ष। इसी तरह, एक उदाहरण के रूप में, विवादित निर्णय इस सवाल का जवाब नहीं देता है कि क्या 1973 के आर. एस. ए. संख्या 545 में उच्च न्यायालय का दिनांकित निर्णय एल. आर. पर बिल्कुल भी बाध्यकारी था। अयंगर/उनके अन्य लोगों का। इसी तरह, विवादित निर्णय अयंगर के खिलाफ के. एस. सेटलर द्वारा दायर 1956 के वाद संख्या 94 में निचली अदालत द्वारा दिए गए दिनांकित निर्णय के प्रभाव पर विचार नहीं करता है, जिसमें निचली अदालत ने के. एस. सेटलर के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि कल्याण द्वारा निष्पादित हस्तांतरण

अयंगर के पक्ष में सुंदरम अय्यर एक बेनामी लेनदेन था। इसी तरह, विवादित निर्णय प्रभाव पर विचार करने में विफल रहा है 1949 के वाद सं. 79 वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अयंगर द्वारा दायर मुकदमे में दीवानी अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों में से

यह प्रभाव कि हालांकि श्यामला राजू कब्जे और खेती में था, चाहे वह अयंगर के अधीन किरायेदार था या के. एस. सेटलर के अधीन, निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ था। इसी तरह, विवादित फैसले में अयंगर या उनके एल. आर. के प्रभाव पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है। [2019] 11 एस. सी. आर. में उन्हें स्वतंत्रता दिए जाने के बावजूद मालिकाना हक पर मुकदमा दायर नहीं करना।

1949 का पूर्ववर्ती वाद सं. 79। प्रतिकूल अधिकार के मामले में, अदालतों को वादी द्वारा की गई याचिका का पता लगाना होगा

शिकायत करें। शिकायत में, वादी जो प्रतिकूल रूप से मालिक होने का दावा करता है

अधिकार को वास्तविक अधिकार का अनुरोध करना पड़ता है। उसे निवेदन करना होगा कि

अवधि और वह तिथि जिस से वह कब्जे में होने का दावा करता है। द.

वादी को अभिवचन करना होगा और साबित करना होगा कि उसका अधिकार निरंतर था,

के वास्तविक मालिक के ज्ञान के लिए अनन्य और निर्विवाद

भूमि को। उसे एक शत्रुतापूर्ण खिताब दिखाना होगा। उसे संवाद करना होता है।

असली मालिक के प्रति उसकी शत्रुता। इनमें से कोई भी पहलू नहीं है

उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित निर्णय में विचार किया गया। जैसा कि कहा गया है।

ऊपर, विवादित निर्णय धारा 96 सी. पी. सी. के तहत है, यह एक नहीं है

सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत निर्णय। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिकूल

कब्जा या निष्कासन तथ्यों से लिया जाने वाला एक निष्कर्ष है।

साबित (एस. आई. सी.) कि काम पहले अपीलीय न्यायालय का है।

(जोर दिया गया)

24. पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम। रेवम्मा (2007) 6 एस. सी. सी.

ई वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अधिकार का दावा किया। अदालत ने

वेदः

" 5. एक अर्थ में प्रतिकूल अधिकार इस सिद्धांत पर आधारित है या

यह धारणा कि मालिक ने संपत्ति को छोड़ दिया है

शत्रु के प्रति मालिक की स्वीकृति पर प्रतिकूल स्वामी

कब्जे वाले व्यक्ति के कार्य और दावे। यह उस ध्वनि का अनुसरण करता है

एक विशिष्ट प्रतिकूल अधिकार के गुण इसके खुले होने में निहित हैं, निरंतर और शत्रुतापूर्ण। [डाउनिंग वी. देखें। बर्ड 100 सो। 2 डी 57 (फ्ला।

1958) ; अरकंसास स्मारक आयोग बनाम। लिटिल का शहर

207 एन. वाई. 240 100 एन. ई. 742 (1913); रॉक स्प्रिंग्स का शहर बनाम। स्टर्म 39 वाह। 494 : 273 पी. 908: 97 ए. एल. आर. 1 (1929)

6. अधिकांश क्षेत्राधिकारों में प्रतिकूल अधिकार कानून की प्रभावशीलता निर्भर करती है

मजबूत सीमा क़ानूनों पर जिनके संचालन द्वारा पहुँच का अधिकार है

न्यायालय समय के प्रवाह के माध्यम से समाप्त हो जाता है। अधिकारों के विरुद्ध कागज-मालिक, प्रतिकूल कब्जे के संदर्भ में, वहाँ विकसित होता है

प्रतिकूल स्वामी के पक्ष में प्रतिस्पर्धी अधिकारों का एक समूह जो

लंबे समय तक भूमि की देखभाल की है, इसे विकसित किया है,

संपत्ति के मालिक के खिलाफ जिसने संपत्ति की उपेक्षा की है।

सीमा के आधुनिक कानून, एक नियम के रूप में, न केवल काटने के लिए काम करते हैं ऐसी संपत्ति की वसूली के लिए कार्रवाई करने का अधिकार जिसमें रेविंदर कौर ग्रेवल v है।

एक निर्दिष्ट समय के लिए दूसरे के प्रतिकूल कब्जे में रहा लेकिन

प्रतिकूल की अमेरिकी धारणा का अध्ययन करते समय ध्यान रखें अधिकार, विशेष रूप से सीमा क़ानूनों की पृष्ठभूमि में, कि

बेदखल करने के इरादे को पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है। सरल।

सफलता के लिए सीमा का प्रयोग अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।

प्रतिकूल अधिकार का दावा। ”

(जोर दिया गया)

25. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण। , खण्ड. 28 , पैरा 777

प्रतिकूल कब्जे वाले व्यक्ति की स्थिति पर चर्चा की गई है और विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह देखा गया है कि कब्जे वाले व्यक्ति का संपत्ति में पारगम्य हित है और वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद, यह कब्जे के अधिकार को बढ़ाता है। पैरा 777 निम्नानुसार हैः

जिसके पास स्वामित्व के बिना भूमि का कब्जा है, वह कब्जे में बना रहता है, तब, वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले, उसके पास एक संक्रमणीय है

उस संपत्ति में ब्याज जो पूरी दुनिया के खिलाफ अच्छा है सिवाय इसके

सही मालिक, लेकिन एक ब्याज जो किसी भी समय उत्तरदायी है

सही मालिक के प्रवेश से पराजित होना; और, यदि वह व्यक्ति

वैधानिक अवधि की समाप्ति तक, उत्तराधिकारी ने तब अधिकार का उतना ही अच्छा अधिकार जैसे कि उसने खुद के लिए कब्जा कर लिया था

पूरी अवधि "।

(जोर दिया गया)

26. हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियमों में, शीर्षक का विलुप्त होना

सीमा अवधि की समाप्ति के प्रभाव पर भी पैरा 783 में चर्चा की गई है और एक बार अधिकार की वसूली करने का अधिकार खो जाने के बाद, इसे किसी भी पुनः प्रविष्टि या बाद में स्वामित्व की स्वीकृति द्वारा फिर से निहित नहीं किया जा सकता है। पैरा 783 को नीचे निकाला गया हैः

" 783. शीर्षक का विलोपनः अवधि की समाप्ति पर किसी भी व्यक्ति के लिए सीमा अधिनियम 1939 द्वारा निर्धारित

भूमि की वसूली के लिए कार्रवाई (एक मोचन कार्रवाई सहित) या एक कार्रवाई [2019] 11 एस. सी. आर.

किसी अधिवक्ता को लागू करने के लिए, उस व्यक्ति का भूमि पर अधिकार या

एडवोसन बुझ गया है। यह विशेष प्रावधानों के अधीन है।

न्यास पर धारित अधिवासित भूमि और भूमि और प्रावधानों से संबंधित पंजीकृत भूमि के स्वामी के लिए एक न्यासी का गठन करने के लिए

वह व्यक्ति जिसने उसके विरुद्ध उपाधि प्राप्त की हो। समाप्त शीर्षक

बाद में इसे फिर से दर्ज करके या बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता है।

स्वामित्व का भुगतान या स्वीकृति। किराया-शुल्क समाप्त हो जाता है।

जब इसे ठीक करने का उपाय वर्जित हो जाता है।

(जोर दिया गया)

27. प्रतिकूल अधिकार द्वारा अर्जित उपाधि की प्रकृति भी रही है

पैरा 785 में इंग्लैंड के हाल्सबरी के कानूनों में लिखा गया है। यह हो चुका है

वेद कि प्रतिकूल कब्जा रहने वाले को प्राप्त उपाधि के साथ छोड़ देता है

अधिकार की दुर्बलता पर अधिकार और विश्राम का तथ्यउसे बाहर निकालने के लिए। कानून और निष्पक्षता दोनों में एक ही "अच्छा खिताब" है। 785 इसे भी नीचे निकाला गया हैः

" 785. अर्जित उपाधि की प्रकृतिः वैधानिक का संचालन

उपाधि के विलुप्त होने का प्रावधान केवल नकारात्मक है; यह समाप्त हो जाता है।

बेदखल मालिक का अधिकार और शीर्षक और छोड़ देता है

अधिकार और विश्राम के तथ्य से प्राप्त उपाधि के साथ रहने वाला उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों के अधिकार की दुर्बलता पर।

कानून के संचालन से प्राप्त एक उपाधि एक अच्छी उपाधि है, दोनों में कानून और निष्पक्षता में, और अदालत द्वारा एक अनिच्छा पर मजबूर किया जाएगा

खरीदार। हालांकि, सबूत है कि एक विक्रेता और जिनके माध्यम से

उनका दावा है कि उनके पास बारह वर्षों से एक संपत्ति का स्वतंत्र कब्जा है

बिना बिक्री योग्य शीर्षक स्थापित करने के लिए वर्ष पर्याप्त नहीं होंगे।

उस समय के अधिकार की स्थिति को दिखाने के लिए सबूत

शुरू किया। यदि खरीद के लिए अनुबंध खुला है,

बारह वर्षों के लिए अधिकार पर्याप्त नहीं है, और एक पूरी लंबाई शीर्षक की आवश्यकता है। हालांकि भूमि का कब्जा प्रथम दृष्टया है।

शुल्क में सीसिन का प्रमाण, यह इस बात का पालन नहीं करता है कि एक व्यक्ति जिसके पास है

कुछ व्यक्तियों के प्रतिबंधित होने के तथ्य से भूमि का खिताब प्राप्त किया

उनके अधिकारों का शुल्क सरल रूप से स्वयं में निहित है; क्योंकि, हालांकि हो सकता है कि उसने उन लोगों के खिलाफ एक अक्षम्य उपाधि प्राप्त की हो जिनके पास एक था

कब्जे में संपत्ति, प्रत्यावर्तन के हकदार व्यक्ति हो सकते हैं या

शेष जिनके अधिकार क़ानून द्वारा काफी अप्रभावित हैं।

(जोर दिया गया)

28. हेनरी डब्ल्यू. बैलेन्टाइन द्वारा "प्रतिकूल अधिकार द्वारा शीर्षक" पर हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में, के प्रश्न के रूप में

पूर्व मालिक। जैसा कि टोल्टेक रैंच कंपनी बनाम में आयोजित किया गया है। कुक, 191 अमेरिका 532,542 (1903)। लेकिन शीर्षक स्वतंत्र है, व्युत्पन्न नहीं है, और प्रतिकूल कब्जे की शुरुआत से "वापस संबंधित" है, जैसा कि देखा गया है। (फील्ड वी. देखें। लोग, 180 बीमार। 376 , 383 , 54 एन. ई. 304 (1899); बेलेफोंटेन कं. वी. नाइडरिंगहॉस, 181 बीमार। 426 , 55 एन. ई. 184 (1899)। सी. एफ. ला सैले बनाम। स्वच्छता जिला, 260 Ill। 423 , 429 , 103 एन. ई. 175 (1913); एमेस, कानूनी इतिहास पर व्याख्यान। 197 ; 3 एंग्लो-अमेरिकन एसेस, 567)। द.

जैसा कि कैम्प v में देखा गया है, विच्छेदन और अधिकार का प्रयोग। शिविर, 5 कॉन। 291 (1824) ; कीमत वी। ल्योन, 14 कॉन। कॉन। 279 , 290 (1841) ; कोल क्रीक, आदि। को. वी. ईस्ट टेन। आई. एंड सी. कंपनी, 105 टेन। 563 ; 59 एस. डब्ल्यू. 634,636 (1900)। यह भी देखा गया है कि संपत्ति के अधिकार अनिश्चित और विवाद में नहीं रहने चाहिए, लेकिन यह वास्तविक अभ्यास जारी रखना चाहिए।

और अधिकार का दावा अधिकार के न्यायिक अस्तित्व का निर्णायक प्रमाण होना चाहिए। 29. लाला हेम चंद बनाम। लाला प्यारे लाल और अन्य। , ए. आई. आर. 1942 पी. सी. 64, प्रतिकूल कब्जे का सवाल उठा जहां एक ट्रस्टी

एक ट्रस्ट के तहत 12 वर्षों से अधिक समय से कब्जे में था जो कानून के तहत शून्य है, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यदि एक प्रतिवादी मालिक को बुझा दिया जाता है और वादी इसे प्रतिकूल कब्जे से प्राप्त कर लेता है। यदि मालिक को सीमा के कानून द्वारा वर्जित होने का अधिकार है, तो व्यावहारिक प्रभाव कब्जे वाले पक्ष के पक्ष में उसके अधिकार का विलुप्त होना है। संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया हैः

समग्र रूप से साक्ष्य से यह निष्कर्ष अटूट है कि यह उनके ज्ञान और निहित सहमति से था कि इमारत को धर्मशाला के रूप में पवित्र किया गया था और धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था और लाला जानकी दास और उनके बाद, 1931 तक इस संपत्ति पर रामचंद का कब्जा था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए जबरन बताया, "20 से अधिक वर्षों के दौरान यह इमारत जानकी दास के प्रभार में रही, और उनकी मृत्यु पर [2019] 11 एस. सी. आर.

उनके बेटे, रामचंद, प्रतिवादी ने एक बार भी दावा नहीं किया था

उसकी अपनी संपत्ति के रूप में या इसे समर्पित माना जाने पर आपत्ति जताई

संपत्ति "। यह बोर्ड (66) 11 एम. आई. ए. 345 में आयोजित किया गया थाः 7 डब्ल्यू. आर. 21: 1

सुदर। 676 : 2 सर। 284 (पी. सी.), गंगा गोबिंदास मुंडल बनाम। द.

चौबीस पर्गुन्नह के कलेक्टर, पृष्ठ 361 पर, कि यदि

जिसके मालिक की संपत्ति का अतिक्रमण किया गया है, उसे होने का अधिकार है

सीमा के कानून द्वारा वर्जित व्यावहारिक प्रभाव विलुप्त होना है

अधिकार में पार्टी के पक्ष में उनकी उपाधि का। धारा 28,

सीमा अधिनियम कहता हैः

" इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति तक सीमित अवधि के निर्धारण पर

किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए उसका अधिकार

ऐसी संपत्ति को बुझा दिया जाएगा। लाला जानकी दास और रामचंद ने संपत्ति को ऊपर की ओर प्रतिकूल रूप से रखा था

12 दान की ओर से वर्ष जिसके लिए इसे समर्पित किया गया था, यह

इस प्रकार इसका शीर्षक, प्रिस्क्रिप्शन द्वारा अधिग्रहित, बन गया है

दान में और प्रतिवादी के दान में निहित, यदि उसके पास कोई था,

उनके प्रभुत्त्वों को कोई संदेह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायाधीश करेंगे यह भी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी का शीर्षक

सीमा द्वारा वर्जित हो गया है, अगर वह विचार का नहीं होता कि लाला जानकी दास ने मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा

न्यास के लेखक और उसके कानूनी लाभ के लिए न्यासी के रूप में

खंड के लिए। उपरोक्त कारणों से, उनके अधिपत्यों का मानना है कि वादी ने मुकदमा संपत्ति के लिए अपना अधिकार स्थापित किया है

12 वर्ष से ऊपर के लिए प्रतिकूल अधिकार प्रतिवादी ने इसका अधिकार प्राप्त किया; और चूंकि मुकदमा था

बेदखल, वादी इससे इसे वसूल करने के हकदार हैं प्रतिवादी, जिसका शीर्षक यदि उसके पास कोई था तो वह बन गया है

सीमा द्वारा विलुप्त, जो भी तरीके से उसने प्राप्त किया हो

अनुमत रूप से या अतिक्रमण द्वारा अधिकार "।

(जोर दिया गया)

30. टिचबोर्न वी। वीर, (1892) 67 एल. टी. 735, यह देखा गया है।

सीमा के प्रभाव पर विचार करना यह नहीं है कि एक व्यक्ति का अधिकार है

दूसरे के लिए अभिभूत, लेकिन यह कि अधिकार समाप्त और नष्ट हो गया है।

ई शीर्षक को व्यक्त करने का तरीका अधिनियम में निर्धारित नहीं है, अधिनियम रेविंदर कौर ग्रेवाल v।

इसे प्रदान नहीं करता है। लेकिन साथ ही, यह भी देखा गया है कि फिर भी उसका "अधिनियम के तहत अधिकार केवल पूर्व सही मालिक के अधिकार के विलुप्त होने से अर्जित किया जाता है"; न कि संपत्ति के किसी भी वैधानिक हस्तांतरण से। उक्त मामले में बैक्सटर द्वारा पहले रखे गए पट्टे को गिरौद को हस्तांतरित करने के लिए सवाल खड़ा हुआ, जो 20 वर्षों से अधिक समय से बैक्सटर को बिना किसी पावती के भूमि के कब्जे में था, जिसने उसे पट्टे को समान रूप से गिरवी रखा था। सवाल यह उठा कि क्या क़ानून ने पट्टा गिरौद को हस्तांतरित कर दिया और वह मकान मालिक का किरायेदार बन गया। उस संदर्भ में, उपरोक्त टिप्पणियां की गई हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो अर्जित किया गया है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस व्यक्ति के पास वह अधिकार है जिसके खिलाफ उसने निर्धारित किया है और प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार का अधिग्रहण उससे अधिक नहीं होगा। पट्टा किसी कानून के तहत हस्तांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि अधिकारों के उन्मूलन द्वारा किया जाता है। दूसरा व्यक्ति अधिकार को चीरता है। इस प्रकार, निर्णय उन विभिन्न निर्णयों के विपरीत नहीं है जिन पर ऊपर चर्चा की गई है और प्रतिकूल कब्जे द्वारा प्रदत्त शीर्षक की प्रकृति से संबंधित है।

31. टेलर बनाम में निर्णय। ट्विनबेरो, (1930) 2 के. बी. 16 को भी इसके विपरीत प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया है। उस मामले में, यह भी एक था

इस प्रकार, टेलर का अधिकार पराजित हो जाएगा, न कि फ्रीहोल्डर का जो मालिक था और उसने किरायेदारी पर जमीन टेलर को दे दी थी। हमारी राय में, यह दृष्टिकोण भारत में प्रशासित प्रतिकूल कब्जे के कानून के अनुरूप है। जैसा कि मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई व्यक्ति है एक सीमित अधिकार, उसके खिलाफ एक व्यक्ति केवल उस सीमित अधिकार को प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर सकता है जो समाप्त हो गया है और उससे परे नहीं है। सीमित मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के प्रभाव के रूप में कानून के इस प्रस्ताव को निर्धारित करने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला है, यदि सीमित मालिक के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, न कि प्रत्यावर्तन या कोई अन्य शीर्षक रखने का। इस प्रकार, टेलर बनाम में निर्णय। ट्विनबेरो (ऊपर) प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शीर्षक के अधिग्रहण को नकारता नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि करता है।

32. एक शीर्षक देने में सीमा के क़ानून का संचालन केवल नकारात्मक है; यह बेदखल [2019] 11 एस. सी. आर. के अधिकार और शीर्षक को समाप्त कर देता है।

मालिक और रहने वाले को एक उपाधि के साथ छोड़ देता है जो कब्जे के तथ्य से प्राप्त होती है और उसे बाहर निकालने के लिए दूसरों के अधिकार की दुर्बलता पर निर्भर करती है। पेरी बनाम। क्लिसोल्ड (1907) एसी 73 को नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम में संदर्भित किया गया है। के. सी. अलेक्जेंडर (ऊपर) जिसमें यह देखा गया है कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि भूमि का कब्जा रखने वाला व्यक्ति मालिक के रूप में माना जाता है और उसके सामान्य अधिकारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है।

स्वामित्व का पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी तरह से अच्छा अधिकार है लेकिन मूल मालिक, और यदि मूल मालिक आगे नहीं आता है और मामले में लागू सीमा के क़ानून के तहत निर्धारित अवधि के भीतर कानून की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं करता है, तो उसका अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और स्वामी एक पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। एल. आर. के माध्यम से राम दान (मृत) में। वी. शहरी सुधार न्यास, (2014) 8 एस. सी. सी. 902, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः

" 11. यह पेरी बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित कानून की स्थिर स्थिति है। क्लिसोल्ड 1907 एसी 73 (पीसी) (एसी पी। 79)

" इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो मालिक के रूप में भूमि का कब्जा रखता है और शांतिपूर्ण तरीके से भूमि का उपयोग करता है

स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का पूरी दुनिया के खिलाफ एक पूरी तरह से अच्छा खिताब है लेकिन सही मालिक। और अगर सही मालिक मामले में लागू सीमाओं के क़ानून के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कानून की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार का दावा करने के लिए आगे नहीं आता है, उसका अधिकार हमेशा के लिए है

बुझा दिया जाता है, और स्वामित्व स्वामी एक निरपेक्ष प्राप्त करता है

शीर्षक "।

उपरोक्त कथन नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। के. सी. अलेक्जेंडर, ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1165।

पैरा 22 में उनके प्रभुत्त्वों ने दृढ़ता से कहाः (एयर पी। 1175)

" 22. न्यायिक समिति के मामले हम पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन हम पेरी बनाम के कथन को स्वीकार करते हैं। क्लिसोल्ड 1907 एसी 73 (पीसी)। ” ” ” ”

33. फेयरवेदर बनाम में निर्णय। सेंट मेरिलबोन संपत्ति

कं. लिमिटेड (1962) 2 ए. ई. आर. 288 (एच. एल.) को यह प्रस्तुत करने के लिए भी संदर्भित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा एक नकारात्मक अवधारणा है जहां कब्जा किरायेदार के खिलाफ लिया गया था, इसका संचालन केवल कब्जे में पुरुषों के खिलाफ उसके अधिकार को रोकने के लिए था। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, यह किरायेदार के पास सीमित अधिकार का मामला था और एक उप-किरायेदार केवल अपने अधिकार को पूरा कर सकता था।

उस किरायेदार के खिलाफ अधिकार जिसने उसे उप-किरायेदार के रूप में शामिल किया था, जिसे रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम के खिलाफ निर्धारित किया गया था।

आग बुझाने के मामले में मालिक के रूप में शीर्षक स्वामित्व का अधिकार है। 34. उच्च न्यायालय के कई फैसलों में भी वादी के प्रतिकूल कब्जे की याचिका उठाने के अधिकार को मान्यता दी गई है। यदि ऐसा मामला वाद में बताए गए तथ्यों पर उत्पन्न होता है और प्रतिवादी को आश्चर्य नहीं होता है जैसा कि नेपेन बाला देवी v में माना गया है। सिती कांत बनर्जी, (1910) 8 इंड केस 41 (डी. बी.) (कैल), नागसेपम इबोतोम्बी सिंह बनाम। वाहेंगबाम इबोहल सिंह और अन्र। , ए. आई. आर. 1960 मणिपुर 16, अबूबकर पुत्र शकी मोहम्मद लालू बनाम। साहिबखतून, ए. आई. आर. 1949 सिंध 12, बाटा क्रिस्टा प्रामाणिक बनाम। ठाकुर जोगेंद्र नाथ मैती और अन्य के शेबैट्स। , ए. आई. आर. 1919 कैल. 339 , रामचंद्र सिल और अन्य। वी. रमनमणि दासी और अन्य। ए. आई. आर. 1917 कैल. 469 , शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, खोसाकोटला और अन्र। वी. प्रेम दास और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1933 लाह 25, रंगप्पा नायक बनाम। रंगस्वामी नायक, ए. आई. आर. 1925 मैड। 1005 ; शेख अलीमुद्दीन बनाम। शेख सलीम, 1928 आई. सी. 81 (पी. सी.)।

35. पन्नालाल भागीरथ मारवाड़ी बनाम। भैयालाल बिंद्रबन परदेसी तेली, ए. आई. आर. 1937 नागपुर 281 में यह देखा गया है कि

दो अतिचारियों के बीच, एक जिसे दूसरे अतिचारक द्वारा गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है, मुकदमा कर सकता है और कब्जा वसूल कर सकता है। कब्ज़े में किसी व्यक्ति को कानून के पाठ्यक्रम के अलावा अन्यथा बेदखल नहीं किया जा सकता है और कृष्ण राम में देखे गए कब्जे की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा कर सकता है।

महाले (मृत) एल. आर. वी. शोभा वेंकट राव, (1989) 4 एस. सी. सी. 131, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। महाराजा धर्मंदर प्रसाद सिंह (1989) 2 एस. सी. सी. 505 .

36. राधामोनी देवी बनाम। खुलना के कलेक्टर और अन्य। (1900) आई. एल. आर. 27 कैल. 943 यह देखा गया कि एक स्वामित्व का गठन करने के लिए

प्रतिकूल कब्जा द्वारा शीर्षक, साबित करने के लिए आवश्यक कब्जा प्रचार में निरंतरता में पर्याप्त होना चाहिए, और एक के लिए दिखाने की सीमा में

12 वर्ष की अवधि।

37. सोमनाथ बर्मन बनाम। एस. पी. राजू, (1969) 3 एस. सी. सी. 129, न्यायालय ने वादी के अधिकार की ऐसी घोषणा के अधिकार को मान्यता दी और

एक आदेश के लिए। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 9 किसी भी तरह से असंगत नहीं है, गलत काम करने वाला इस आधार पर मुकदमे का विरोध नहीं कर सकता है कि अधिकार और अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति में हैं। [2019] 11 एस. सी. आर. के खिलाफ वादी को मुकदमा करने का अधिकार उपलब्ध है।

मालिकों के साथ-साथ अन्य शिकायत में प्रतिकूल कब्जे की याचिका लेकर।

38. हेमाजी वाघाजी जाट बनाम। भीखाभाई खेंगरभाई हरिजन

& ओआरएस। , (2009) 16 एस. सी. सी. 517, टी. अंजनप्पा बनाम पर निर्भर करता है। सोमलिंगप्पा

(2006) 7 एस. सी. सी. 570 ने पाया कि खिताब प्रतिकूल कब्जे पर आधारित हो सकता है। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 23. इस न्यायालय के पास प्रतिकूल की अवधारणा की जांच करने का अवसर था

टी. अंजनप्पा बनाम में अधिकार सोमलिंगप्पा, 2006 (7) एससीसी

570 .

अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति जो अपने शीर्षक को प्रतिकूल पर आधारित करता है

अधिकार को स्पष्ट और स्पष्ट साक्ष्य से दिखाना चाहिए कि उसकी उपाधि वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण थी और इनकार करने के बराबर थी।

दावा की गई संपत्ति पर उसका अधिकार। अदालत ने आगे कहा कि कि - (एससीसी p.577, पैरा 20)

" 20 ..... प्रतिकूल रूप से उपाधि के अधिग्रहण की शास्त्रीय आवश्यकताएँ अधिकार वह है जो असली मालिक के अधिकार से इनकार में ऐसा अधिकार है।

शीर्षक शांतिपूर्ण, खुला और निरंतर होना चाहिए। अधिकार होना चाहिए।

द्वारा ज्ञात होने में सक्षम होने के लिए खुला और शत्रुतापूर्ण होना

संपत्ति में रुचि रखने वाले पक्ष, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि

प्रतिकूल धारक को वास्तव में सूचित करने का प्रमाण होना चाहिए

पूर्व की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का वास्तविक मालिक।

9999

साथ ही, इस न्यायालय ने यह भी कहा है कि

प्रतिकूल कब्जा कठोर है और विधानमंडल प्रतिकूल कब्जे के रूप में कानून में बदलाव पर विचार कर सकता है।

39. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, जब हम विचार करते हैं

गुरुद्वारा साहिब बनाम में निर्णय। ग्राम पंचायत गाँव सिरथला और अन्र। , (2014) 1 एस. सी. सी. 669 का फैसला दो-न्यायाधीशों की पीठ ने किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या वादी मुकदमे की भूमि के प्रतिकूल कब्जे में है, इस अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया। गुरुद्वारा साहिब सन्नौली बनाम। पंजाब राज्य (2009) 154 पी. एल. आर. 756 और कहा कि इस हद तक 'कोई विवाद' नहीं हो सकता है कि नीचे की अदालतों के निर्णय सही हैं और बिना किसी दोष के हैं। यहां तक कि अगर वादी प्रतिकूल कब्जे में पाया जाता है, तो भी वह इस आशय की घोषणा की मांग नहीं कर सकता है कि ऐसा प्रतिकूल कब्जा स्वामित्व में परिपक्व हो गया है। की गई चर्चा केवल पैरा 8 तक ही सीमित है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया हैः

रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम। मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

" 4. जहाँ तक पहले मुद्दे का संबंध है, यह तय किया गया था वादी के पक्ष में निष्कर्ष लौटाते हुए कि अपीलार्थी था

13.4.1952 के बाद से वाद संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे में इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया गया था।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत। हालांकि, दूसरा तय करते समय

इस मुद्दे पर, अदालत ने राय दी कि इस पर कोई घोषणा नहीं की जा सकती है

प्रतिकूल कब्ज़े का आधार जहाँ तक प्रतिकूल कब्ज़ा हो सकता है ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाए न कि तलवार के रूप में। विद्वान सिविल न्यायाधीश

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गुरुद्वारा साहिब सन्नुअली बनाम। पंजाब राज्य (2009) 154 पी. एल. आर.

साथ ही, अपीलार्थी के खिलाफ भी निर्णय लिया। 8. इस हद तक कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि निर्णय

नीचे दिए गए न्यायालय सही हैं और बिना किसी दोष के हैं। भले ही

वादी प्रतिकूल कब्जे में पाया जाता है, वह एक की मांग नहीं कर सकता है

स्वामित्व में। केवल तभी जब अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही दायर की जाती है और अपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह इसका उपयोग कर सकता है

ढाल/रक्षा के रूप में प्रतिकूल कब्जा। ”

(जोर दिया गया)

यह स्पष्ट है कि क्या वादी याचिका ले सकता है

उपरोक्त निर्णय में प्रतिकूल अधिकार का विरोध नहीं किया गया था और बड़ी पीठ सहित उपरोक्त निर्णयों में से किसी को भी इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था। फैसला इस प्रस्ताव पर आधारित है कि कानून पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि मुद्दा विवादित नहीं था। कोई कारण नहीं दिया गया है, केवल एक पंक्ति में अवलोकन दर्ज किया गया है।

40. यह भी उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय का निर्णय

गुरुद्वारा साहिब बनाम। उत्तराखंड राज्य में ग्राम पंचायत गाँव, सिरथला (ऊपर) पर भरोसा किया गया है। मंदिर श्री लक्ष्मण सिद्ध महाराज (2017) 9 एस. सी. सी. 579। उक्त मामले में, प्रतिकूल कब्जे की कोई याचिका नहीं ली गई थी और न ही कोई मुद्दा तैयार किया गया था क्योंकि इस न्यायालय ने कहा था कि अभिवाक के अभाव में, प्रतिकूल कब्जे के मुकदमे के जारी करने और साक्ष्य का फैसला उस आधार पर नहीं

किया जा सकता था। उपरोक्त को देखते हुए, इस सवाल में जाना आवश्यक नहीं था कि क्या वादी प्रतिकूल कब्जे की याचिका ले सकता था। फिर भी, एक पासिंग [2019] 11 एस. सी. आर.

इस पहलू पर बिना किसी चर्चा के अवलोकन किया गया है कि नीचे दिए गए न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि स्वामित्व अधिकारों की घोषणा

वाद सम्पत्ति वादीकँ प्रतिकूल अधिकारक आधार पर देल जा सकैत अछि (देखू: गुरुद्वारा साहिब बनाम। ग्राम पंचायत, सिरथला)। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 24. कल्पना के किसी भी विस्तार से, हमारे विचार में, ऐसी घोषणा

मुक़दमे की संपत्ति पर स्वामित्व और एक पर सहजता का अधिकार निचली अदालत द्वारा वादी के पक्ष में अनुमति दी जा सकती है।

अभिवचन या कोई मुद्दा प्रतिकूल साबित करने के लिए बहुत कम सबूत भूमि पर अधिकार और उस पर किसी भी आसान अधिकार के अनुदान के लिए

कुआँ। निचली अदालतों को यह देखना चाहिए था कि कोई घोषणा नहीं

मुक़दमे की संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार दिए जा सकते हैं

"प्रतिकूल अधिकार" के बल पर वादी (गुरुद्वारा देखें)

निचली अदालतों को यह भी देखना चाहिए था कि अदालतें अनुदान दे सकती हैं। केवल वह राहत जिसका वादी द्वारा वाद में दावा किया गया है और

इस तरह की राहत केवल दलीलों पर दी जा सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं।

दूसरे शब्दों में, अदालतें दलीलों से आगे नहीं बढ़ सकतीं। किसी भी तरह की राहत देना। यह सिद्धांत पूरी तरह से तथ्यों पर लागू होता है

वादी के खिलाफ यह मामला "।

(जोर दिया गया)

41. एल. आर. वी. के माध्यम से फिर से धर्मपाल (मृत) में। पंजाब वक्फ

बोर्ड, (2018) 11 एस. सी. सी. 449, अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद में किए गए कथन प्रतिकूल कब्जे की याचिका का गठन नहीं करते हैं क्योंकि

प्रतिकूल कब्जे की शुरुआत के बिंदु का अनुरोध नहीं किया गया था और वक्फ बोर्ड ने वर्ष 1971 में एक मुकदमा दायर किया था क्योंकि प्रतिकूल कब्जे द्वारा इस तरह के पूर्ण अधिकार इस पहलू पर कोई चर्चा किए बिना एक ही समय में उत्पन्न नहीं हुए थे कि क्या वादी प्रतिकूल कब्जे की याचिका ले सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवाद में प्रतिवादी प्रतिकूल अधिकार की इस याचिका को नहीं उठा सकता है। साथ ही इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करने पर भरोसा किया कि वह गुरुद्वारा साहिब बनाम के निर्णय से

बंधा हुआ है। ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला (ऊपर), और तर्क को प्रतिवाद पर भी लागू किया गया था। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 28. सबसे पहले हम पाते हैं कि यह न्यायालय गुरुद्वारा साहिब में है। वी. ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला, (2014) 1 एस. सी. सी. 669 में रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम है।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

पैरा 8 मे अभिनिर्धारित कयल गेल अछि जे प्रतिकूल अधिकारक याचिका स्थापित नहि कयल जा सकैत अछि। वादी द्वारा वाद संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने के लिए लेकिन इस तरह

प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव के माध्यम से याचिका दायर की जा सकती है।

वादी के दावे के जवाब में लिखित बयान। हम बंधे हैं।

इस दृष्टिकोण से।

34. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को तथ्यों पर लागू करना

हाथ पर मामला, हम इस याचिका में बिल्कुल कोई योग्यता नहीं पाते हैं प्रतिवादी 1 निम्नलिखित कारणों सेः

34.1 . पहला, प्रतिवादी 1 ने केवल अपनी शिकायत में प्रतिवाद किया है (प्रतिवाद)

कि वह, अपने पिता के माध्यम से, तब से सूट भूमि के कब्जे में था

1953. इस तरह के कथन, हमारी राय में, की याचिका का गठन नहीं करते हैं

" इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में प्रतिकूल अधिकार

ऊपर उद्धृत किया गया।

34.2 . दूसरा, यह अनुरोध नहीं किया गया था कि किस तारीख से, प्रतिवादी

1'का कब्जा वादी (वक्फ बोर्ड) के लिए प्रतिकूल हो गया।

34.3 . तीसरा, यह भी अनुरोध नहीं किया गया था कि जब उसका प्रतिकूल

कब्जा पूरा हो गया था और पूर्ण स्वामित्व में पक गया था

उसका उपकार।

34.4 . चौथा, यह सरल कारण से ऐसा नहीं हो सकता था कि

वादी (वक्फ बोर्ड) ने वर्ष 1971 में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

वाद भूमि के संबंध में प्रतिवादी 1 के पिता। इसलिए, जब तक

वर्ष 1971, प्रतिवादी 1 द्वारा अपने खिताब को पूरा करने का सवाल

" वादी (वक्फ बोर्ड) के खिलाफ प्रतिकूल अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ।

वादी ने तब वर्ष 1991 में वर्तमान मुकदमा दायर किया और इसलिए,

पुनः 1991 तक के अधिकार को पूर्ण करने का प्रश्न वादी के लिए आवश्यक है।

वह नहीं उठा। "

(जोर दिया गया)

42. उत्तराखंड राज्य में v. मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध

एल. आर. वी. के माध्यम से राज (सुप्रा) और धर्मपाल (मृत)। पंजाब वक्फ डी (ऊपर), इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं है कि क्या वादी

एटर प्रतिकूल कब्जे की याचिका लेता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि

ओशन का विरोध किया गया था और पहले के बाध्यकारी निर्णय भी नहीं थे

घ न्यायालय के विचार के लिए। जैसा कि कोई स्वतंत्र नहीं है

सवाल का जवाब देते हुए, हमें मुख्य रूप से निर्णय की जांच करनी होगीवारा साहिब बनाम। ग्राम पंचायत गाँव सिरथला (ऊपर)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. जब हम गुरुद्वारा साहिब सन्नौली (ऊपर) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करते हैं, जो

इस न्यायालय द्वारा गुरुद्वारा साहिब बनाम में निर्दिष्ट। ग्राम पंचायत, शीर्षल (ऊपर), उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा की गई चर्चा निम्नलिखित हैः

" 10. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अपील के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। मुझे उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में बल मिलता है। बछाज नाहर बनाम। नीलिमा मंडल और अन्र। जे. टी. 2008 (13) एस. सी. 255 माननीय उच्चतम न्यायालय ने आधिकारिक रूप से निर्धारित किया है कि यदि कोई तर्क दिया गया है या नहीं उठाया गया है, तो उसे नियमित दूसरी अपील में नहीं लिया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि भीम सिंह और ओआरएस। वी. ज़िले सिंह और ओआरएस। , (2006) 3 आर. सी. आर. सिविल 97, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी द्वारा कोई घोषणा नहीं मांगी जा सकती है

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व के बारे में वादी की याचिका केवल वादी के खिलाफ प्रतिवादी के लिए उपलब्ध है। इसी तरह, 2008 के आर. एस. ए. सं. 3909 में हरियाणा राज्य बनाम। मुकेश कुमार और अन्य। (2009) 154 पी. एल. आर. 753 ने 17.03.2009 पर निर्णय लिया कि इस न्यायालय ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो भीम में कहा गया है।

सिंह का मामला (ऊपर) "।

कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। केवल निर्णय

भीम सिंह और अन्य में वही उच्च न्यायालय। वी. जिला सिंह और अन्य। ए. आई. आर. 2006 पी. एंड एच. 195 पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया गया है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई घोषणा नहीं मांगी जा सकती है।

44. भीम सिंह और ओआरएस में। (ऊपर) वादी ने प्रतिकूल आधार पर स्वामित्व का दावा करते हुए घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था।

अधिकार। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि वादी कब्जे में नहीं थे। भीम सिंह और अन्य में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। वी. जिला सिंह और अन्य। (उपर्युक्त) ने कारणों को निर्दिष्ट किया है और इस प्रकार देखा हैः

" 11. सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64 के तहत, कब्जे के लिए मुकदमे के रूप में एक वादी द्वारा अचल संपत्ति का, जिसे संपत्ति के कब्जे में होने के दौरान ऐसे कब्जे से बेदखल कर दिया गया था, जब ऐसा मुकदमा पिछले कब्जे पर आधारित है और स्वामित्व पर आधारित नहीं है, तो बेदखल होने की तारीख से 12 साल के भीतर दायर किया जा सकता है। सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत, स्वामित्व के आधार पर अचल संपत्ति या उसमें किसी भी हित के कब्जे के लिए मुकदमा 12 साल के भीतर स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। इस रेवाइंडर कौर ग्रेवल v के तहत सीमा।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

अनुच्छेद उस तारीख से शुरू होता है जब अधिकार

प्रतिवादी वादी के प्रतिकूल हो जाता है। इनमें परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि कब्जे के लिए मुकदमा लड़ने के लिए,

एक व्यक्ति द्वारा अपने शीर्षक के आधार पर दायर किया गया, प्रतिकूल याचिका

कब्जा एक प्रतिवादी द्वारा लिया जा सकता है जो शत्रुतापूर्ण, निरंतर है

और असली मालिक के ज्ञान के लिए खुला अधिकार, यदि ऐसा है

एक व्यक्ति 12 साल की अवधि के लिए कब्जे में रहा है। यह,

इस प्रकार, स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि प्रतिकूल अधिकार की याचिका

एक बचाव केवल एक प्रतिवादी के लिए उपलब्ध है। यह निष्कर्ष

इस प्रकार, उपरोक्त अनुच्छेद 65 के अवलोकन से पता चलता है कि याचिका केवल वादी के विरुद्ध प्रतिवादी के लिए उपलब्ध। इनमें

परिस्थितियों, प्राकृतिक अनुमान का पालन करना चाहिए कि जब इस तरह के एक

प्रतिकूल अधिकार का अनुरोध केवल एक प्रतिवादी के लिए उपलब्ध है, तब

वादी द्वारा उसके संबंध में कोई घोषणा नहीं मांगी जा सकती है। प्रतिकूल अधिकार के आधार पर स्वामित्व।

12. 1993 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले से मुझे समर्थन प्राप्त है 105 पीएलआर (दिल्ली अनुभाग) 70, प्रेम नाथ वधावन बनाम। इंदर राय

वधावन।

13. प्रेम नाथ में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

वधावन के मामले (ऊपर) पर ध्यान दिया जा सकता है:

" मैंने प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा बनाया गया है और यह भी है

रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुझे विवाद में कोई योग्यता नहीं मिलती है

वादी के लिए विद्वान वकील कि वादी बन गया है प्रतिकूल आधार पर वाद संपत्ति का पूर्ण स्वामी

प्रतिकूल कब्जे की याचिका के रूप में कब्जा किया जा सकता है

अधिकार की वसूली के लिए एक मुकदमे में बचाव लेकिन राहत के लिए

घोषणा कि वादी पूर्ण स्वामी बन गया है, नहीं कर सकता है

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रदान किया जाए।

(जोर दिया गया)

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है।

अनुच्छेद 65 के अनुसार, प्रतिकूल अधिकार की याचिका एक प्रतिवादी के लिए सी. ई. के रूप में उपलब्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

45. अधिनियम के अनुच्छेद 65 को इसके तहत निकाला गया है:

सूट का विवरण

सीमा की अवधि

जिस समय से

अवधि शुरू होती है

जब कब्ज़ा

बारह वर्ष।

में से

65. अधिकार के लिए

अचल संपत्ति या

अभियुक्त का

उसमें कोई रुचि

प्रतिकूल हो जाता है
वादी।

शीर्षक के आधार पर।

इसके लिए

स्पष्टीकरण।

इस लेख के उद्देश्य

(a) जहाँ सूट a द्वारा है

रिमेन्डरमैन,

ए

प्रतिवर्ती (ए के अलावा)

मकान मालिक) या एक योजनाकार,

का अधिकार

प्रतिवादी होगा माना जाता है

बन जाता है

को

प्रतिकूल केवल तभी जब

में से

द.

संपत्ति

रिमेन्डरमैन,

प्रतिवर्ती या योजनाकार, के रूप में

मामला हो सकता है, गिरता है

(ख) जहाँ सूट ए द्वारा है हिंदू या मुसलमान के अधिकार

के अधिकार में

अचल संपत्ति

किसी हिंदू की मृत्यु या मुस्लिम महिला,

अधिकार

द.

में से

बनो।

करेंगे।

प्रतिवादी माना जाता है कि

बन जाता है

प्रतिकूल केवल तभी जब

में एक बिक्री पर खरीदार

एक फरमान का निष्पादन

जब फैसला होता है

कर्जदार बाहर था।

में से

तारीख में अधिकार

बिक्री, खरीदार

माना जाएगा कि

प्रतिनिधि

न्याय-ऋणी जो

कब्जे से बाहर था।

46. उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष एक अनुमानित प्रक्रिया पर आधारित है क्योंकि इसके तीसरे कॉलम में उपयोग की गई भाषा

अनुच्छेद 65। अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, 12 साल की सीमा उस तारीख से चलती है जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के लिए प्रतिकूल हो जाता है। अधिनियम की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि वादी द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे या प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अर्जित स्वामित्व के आधार पर उसमें किसी भी हित के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार की पूर्णता के लिए बिल्कुल कोई बाधा नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति वादी के रूप में मुकदमा कर रहा है या प्रतिवादी के रूप में मुकदमा किया जा रहा है। प्रयुक्त व्याख्या की अनुमानित प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यह क़ानून में उपयोग की गई भाषा का अनुसरण नहीं करता है। इस न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णय और प्रिवी काउंसिल, उच्च न्यायालयों और अंग्रेजी न्यायालयों के विभिन्न अन्य निर्णय, जिन पर हमारे द्वारा चर्चा की गई है और विभिन्न निर्णयों के आधार पर हैल्सबरी कानूनों में की गई टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से प्राप्त स्वामित्व के आधार पर या अनुच्छेद 64 और 65 के तहत कब्जे के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 65 के तहत या सीमा अधिनियम, 1963 के किसी भी प्रावधान के तहत किसी ऐसे वादी के खिलाफ कोई रोक नहीं है, जिसने किसी व्यक्ति को बेदखल करने या अपने कब्जे की रक्षा करने के लिए मुकदमा करने के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपने अधिकार को पूर्ण किया है और बहुत सारे निर्णय इस प्रभाव के लिए हैं कि मालिक के अधिकार को समाप्त करने के आधार पर, कब्जे वाला व्यक्ति पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है और यदि वास्तविक मालिक अपने अधिकार को समाप्त करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को बेदखल कर देता है।

ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा दायर करके उसे बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार, गुरुद्वारा साहिब बनाम का निर्णय। ग्राम पंचायत, सिरथला (ऊपर) और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सही कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के कारण।

47. गुरुद्वारा साहिब बनाम। ग्राम पंचायत, सिरथला (ऊपर)

बस्तियों का, ए. पी. बनाम. एम. आर. अप्पाराव, (2002) 4 एस. सी. सी. 638, अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड बनाम। शम्मी भान (1998) 6 एससीसी 538। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राय की अभिव्यक्ति थी क्योंकि न्यायालय ने कहा कि कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एक वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे की याचिका नहीं ली जा सकती है। तथ्य यह है कि प्रस्ताव विवादित नहीं था और इसके विपरीत कोई तर्क नहीं उठाया गया था, जैसे कि कोई [2019] 11 एस. सी. आर. नहीं था।

उपरोक्त पहलू पर निर्णय केवल कानून के प्रस्ताव के रूप में एक अवलोकन किया गया था, जो स्पष्ट रूप से गलत है।

48. क़ानून प्रतिकूल अधिकार को परिभाषित नहीं करता है, यह एक सामान्य है

कब्जा हटाने की कोशिश की जाती है या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन प्रवेश करके उसे बेदखल कर दिया जाता है, कब्जा प्राप्त करने के उसके अधिकार का विरोध केवल तभी किया जा सकता है जब वह व्यक्ति जो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा हो। कब्जा, यह दिखाने में सक्षम है कि उसने ऐसे वादी के खिलाफ अपेक्षित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने अधिकार को भी परिपूर्ण कर लिया है।

49. अनुच्छेद 64 के तहत भी स्वामित्व अधिकार के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। कानून कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को वंचित करने का इरादा नहीं रखता है जिसने पूर्ण उपाधि प्राप्त की हो। अधिकार की वसूली करने और उसे उपचारहीन बनाने के लिए अनुच्छेद 65 के तहत मुकदमा दायर करना। किसी भी अन्य अधिकार के उल्लंघन के मामले में

अन्य अनुच्छेद जैसे कि यदि भूमि मालिक द्वारा अपने स्वामित्व को समाप्त करने के बाद बेच दी जाती है, तो मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसने अलगाव और बेदखल करने के प्रयास पर सवाल उठाने के लिए प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है।

50. प्रतिकूल अधिकार का कानून केवल एक प्रतिवादी को प्रतिकूल अधिकार के माध्यम से अधिकार के अधिग्रहण के लिए योग्य नहीं बनाता है, यह हो सकता है

एक व्यक्ति द्वारा परिपूर्ण जो मुकदमा दायर कर रहा है। यह केवल अपने अधिकारों के विलुप्त होने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले स्वामित्व की वसूली के मालिक के अधिकार को प्रतिबंधित करता है। एक बार अधिकार समाप्त हो जाने के बाद दूसरा व्यक्ति

विहित अधिकार प्राप्त करता है जिसे मालिक द्वारा पुनः प्रविष्टि या उसके बाद उसके अधिकारों की स्वीकृति से पराजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में मुकदमा उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार को पराजित करने की मांग की जाती है। 51. भारत में, कानून कब्जे का सम्मान करता है, व्यक्तियों को कानून अपने हाथों में लेने और कब्जे में किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेदखल करने की अनुमति नहीं है।

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्वर्गीय यशवंत सिंह (ऊपर) में कहा गया है। मुकदमा केवल कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत उचित राहत के लिए स्वामित्व अधिकार के आधार पर दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 64 और 65 दोनों ऐसे मामलों में आकर्षित होते हैं जो इस न्यायालय द्वारा देश राज बनाम में अभिनिर्धारित किए गए हैं। भगत राम (ऊपर)। नायर सर्विस सोसाइटी (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया कि यदि सही हो तो रेविंदर कौर ग्रेवाल बनाम।

मंजीत कौर [अरुण मिश्रा, जे.]

52. सारंगदेव पेरिया मातम बनाम। रामास्वामी गौंडर, (ऊपर), कब्जे की वसूली के लिए वादी का मुकदमा मठ के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शीर्षक की पूर्णता के आधार पर फैसला सुनाया गया था, उसे मठ द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता था। अदालत ने कहा कि

सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 28 के साथ पठित अनुच्छेद 144 के तहत, मठ का शीर्षक 1927 में समाप्त हो गया और वादी ने 1927 में अधिकार प्राप्त कर लिया। 1950 में, उन्होंने कब्जा सौंप दिया, लेकिन कब्जे की इस तरह की डिलीवरी ने मठ को कोई उपाधि हस्तांतरित नहीं की। 1954 में दायर किए गए मुकदमे को समय के भीतर माना गया और फैसला सुनाया गया।

53. वादी के पक्ष में अधिकार का अधिग्रहण है, हालांकि यह मालिक के अधिकार को समाप्त करने के अधिकार का नकारात्मक सम्मान है।

संपत्ति। उसके प्रतिकूल कब्जे द्वारा पर्चे द्वारा पकाया गया अधिकार निरपेक्ष है और बेदखल होने पर, वह अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत शुरुआती भाग में परिकल्पित 'स्वामित्व' के आधार पर मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद 65 के तहत 12 साल के भीतर कब्जे की वसूली के लिए मालिकाना हक के आधार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा स्थापित प्रतिकूल कब्जे की शुरुआत, यदि कोई हो। अन्यथा 12 वर्षों के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के अभाव में सीमा की परवाह किए बिना स्वामित्व के आधार पर कब्जे की वसूली का अधिकार पूर्ण है। अतिक्रमणकारी के रूप में कब्ज़ा प्रतिकूल नहीं है और न ही लंबा कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े का पर्याय है।

1963 किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा समाप्त होने पर अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान है, ऐसी संपत्ति का अधिकार जलती हुई खड़ी हो जाएगी। विकसित प्रतिकूल अधिकार की अवधारणा अवधि के पूरा होने पर इससे आगे निकल जाती है और अधिकार का उन्मूलन मालिक को वही अधिकार प्रदान करता है, जिसे समाप्त कर दिया गया है और उससे अधिक नहीं। किसी व्यक्ति के लिए कब्जे के लिए मुकदमा करना इंगित करेगा कि

इसे प्राप्त करने का अधिकार उसे वर्तमान में प्राप्त हुआ है, न कि भविष्य में।

धारा 27 में संपत्ति में भौतिक या अमूर्त संपत्ति शामिल होगी। अनुच्छेद 65 अचल संपत्ति से संबंधित है।

56. अधिकार स्वामित्व की जड़ है और संपत्ति की तरह ही सही है। के रूप में

स्वामित्व भी विभिन्न प्रकार का होता है। एकल स्वामित्व, आकस्मिक स्वामित्व, भौतिक स्वामित्व और कानूनी न्यायसंगत स्वामित्व। एक धारक द्वारा सीमित स्वामित्व या संपत्ति के सीमित अधिकार का आनंद लिया जा सकता है। जिसके खिलाफ निर्धारित किया जा सकता है वह धारक के अधिकारों तक सीमित है। कब्जा विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। यह.

यह देखना होगा कि किस तरह के कब्जे का आनंद लिया जाता है। वस्तुतः अर्थात, वास्तविक, 'न्यायिक अधिकार', रचनात्मक अधिकार, समवर्ती

संपत्ति के एक छोटे से हिस्से पर अधिकार। यदि मालिक प्रतीकात्मक कब्जे में है, तो कोई विस्थापन नहीं है, औपचारिक, अनन्य या संयुक्त कब्जा हो सकता है। संयुक्त मालिक/सह-मालिक के कब्जे को प्रतिकूल नहीं माना जाता है। व्यक्तिगत कानून भी अधिकार की प्रकृति को समझने में भूमिका निभाता है।

57. प्रतिकूल कब्जे के लिए तीनों क्लासिक की आवश्यकता होती है।

एक ही समय में सह-अस्तित्व की आवश्यकताएँ, अर्थात्, एन. ई. सी.-vi अर्थात निरंतरता में पर्याप्त, एन. ई. सी.-क्लैम अर्थात, प्रचार में पर्याप्त और एन. ई. सी.-प्रिकारियो अर्थात एक प्रतियोगी के लिए प्रतिकूल, शीर्षक और उसके ज्ञान से इनकार में। दृश्यमान, कुख्यात और शांतिपूर्ण ताकि यदि मालिक कुख्यात तथ्यों को जानने का ध्यान न रखता है, तो ज्ञान का श्रेय उसे इस आधार पर दिया जाता है कि लेकिन उचित परिश्रम के लिए वह इसे जानता। प्रतिकूल अधिकार को उस शीर्षक पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसका अनुरोध नहीं किया गया है। शीर्षक के शत्रुतापूर्ण रंग के तहत एनिमस पॉसिडेन्डी की आवश्यकता होती है। अतिचारक का लंबा कब्ज़ा पर्यायवाची नहीं है प्रतिकूल कब्जे के साथ। अतिक्रमणकारी के कब्जे को मालिक की ओर से माना जाता है, आकस्मिक उपयोगकर्ता प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करता है। मालिक किसी भी समय अतिचारक से कब्जा ले सकता है।

समय में बिंदु। मालिक संपत्ति की देखभाल करता है, इसकी रक्षा करता है और कृषि संपत्ति के मामले में बड़ी अवधारणा यह है कि वास्तविक जोतने वाले को उस भूमि का मालिक होना चाहिए जो अपनी मेहनत से काम करती है और भूमि को खेती योग्य बनाती है। विभिन्न राज्यों में विधायिका अधिकार के आधार पर अधिकार प्रदान करती है।

58. प्रतिकूल कब्जा वंशानुगत है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रतिकूल कब्जे से निपटा जा सकता है क्योंकि अधिकार पारगम्य है। हमारी राय में, यह एक पूर्ण अधिकार प्रदान करता है जिसे अनुच्छेद 65 में दिए गए प्रावधान के अलावा पुनः प्रवेश पर पराजित नहीं किया जा सकता है। टैकिंग कुछ शर्तों की पूर्ति पर आधारित है, शायद खरीदार, उत्तराधिकारी या समनुदेशक आदि द्वारा कब्जे द्वारा टैकिंग, ताकि रेविंदर कौर ग्रेवाल v की निरंतरता का गठन किया जा सके।

कब्जा, वह व्यक्ति दावा कर रहा होना चाहिए जिसके माध्यम से इसे निपटाया जाना चाहिए, और उसी अधिकार के तहत उसी संपत्ति की पहचान पर निर्भर करेगा। दो अलग-अलग अतिचारक निर्धारित अवधि के लिए प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार प्रदान करने के लिए अपने कब्जे से नहीं निपट सकते हैं। 59. हम मानते हैं कि कब्जे में किसी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया और 12 साल की अवधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है।

प्रतिकूल कब्जा समाप्त हो गया है, यहां तक कि मालिक का उसे बाहर निकालने का अधिकार भी समाप्त हो गया है और

स्वामित्व स्वामी, जैसा भी मामला हो, निवर्तमान व्यक्ति/मालिक के अधिकार, स्वामित्व और ब्याज को प्राप्त करता है, जिसके खिलाफ उसने निर्धारित किया है। हमारी राय में, परिणाम यह है कि एक बार अधिकार, अधिकार या ब्याज प्राप्त हो जाने के बाद इसका उपयोग वादी द्वारा तलवार के साथ-साथ अधिनियम के अनुच्छेद 65 के तहत प्रतिवादी द्वारा ढाल के रूप में किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार को परिपूर्ण किया है, बेदखल होने की स्थिति में कब्जे की बहाली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर बेदखल करने के मामले में अनुच्छेद 64 के तहत स्वामित्व का मुकदमा चलाया जा सकता है, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व के पकने से पहले भी। मालिक के शीर्षक को समाप्त करने पर शीर्षक की पूर्णता से, एक व्यक्ति बिना उपचार के नहीं हो सकता है। यदि प्रतिकूल प्रभाव से अधिकार खोने के बाद मालिक द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया है। कब्जा, उसे वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे की याचिका लेकर बेदखल किया जा सकता है। इसी तरह, कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से पूर्ण अधिकार रखने वाले वादी को बेदखल कर दिया हो, उसे भी तब तक बेदखल किया जा सकता है जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति पूर्ण अधिकार नहीं रखता है।

प्रतिकूल अधिकार द्वारा ऐसे वादी के विरुद्ध। इसी तरह, अन्य अनुच्छेदों के तहत भी अपने किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में, एक वादी जिसने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार को परिपूर्ण कर लिया है, मुकदमा कर सकता है और मुकदमा चला सकता है।

60. जब हम प्रतिकूल अधिकार के कानून पर विचार करते हैं

सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित संपत्ति के संबंध में, अदालतें प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार प्रदान करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। ऐसे हैं मामले जब ऐसी संपत्तियों का अतिक्रमण किया जाता है और फिर प्रतिकूल कब्जे की याचिका दायर की जाती है। ऐसे मामलों में, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित भूमि पर, यह वांछनीय है कि अधिकार अर्जित नहीं होने चाहिए। प्रतिकूल अधिकार का कानून कठोर परिणाम पैदा कर सकता है, इसलिए, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि यह सलाह दी जाएगी कि ऐसी संपत्तियों के संबंध में

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित, यह सीमा के क़ानून में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकार प्रतिकूल कब्जे से अर्जित नहीं हो सकता है।

61. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि गुरुद्वारा ग्राम पंचायत ग्राम सिरथला (ऊपर) और निर्णय आश्रित उत्तराखंड राज्य बनाम। मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महार और धर्मपाल (मृत) एल. आर. वी. के माध्यम से। पंजाब वक्फ बोआ यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानून को सही तरीके से निर्धारित कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। हमारा मानना है कि वादी द्वारा प्रतिकूल रूप से स्वामित्व के अधिग्रहण की याचिका को सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के तहत लिया जा सकता है, जो किसी वादी के किसी भी अधिकार के उल्लंघन के उपरोक्त बा पर मुकदमा करने के लिए कोई बाधा नहीं है।

62. इन मामलों को मुझ पर विचार के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। दिव्या पांडे

सी

धा।